BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVIII | 30th June 2017 | No. 6

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर द्वारा संचालित निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित महिलाओं को माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने प्रमाण–पत्र प्रदान किया

• महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु चैम्बर प्रयासरत : चैम्बर अध्यक्ष • चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सराहनीय • महिलाओं के उत्पादों को बाजार प्रदान करने में सहयोग की आवश्यकता : श्री राम कृपाल यादव

मंचासीन माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव, उनकी बाँयी ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। दाँयी ओर महामंत्री श्री शशि मोहन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन। पीछे अपना प्रमण-पत्र दिखाती प्रशिक्षु महिलाएँ एवं अन्य।

दिनांक 3 जून 2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में चैम्बर द्वारा संचालित निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं को माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव ने प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान किया। कुल 551 प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण-पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि हम माननीय मंत्री महोदय के आभारी हैं जिन्होंने हमारे अनुरोध पर अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों से समय निकाल कर हमारे यहाँ पधारने की कृपा की है।

महोदय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार का कौशल विकास पर काफी जोर है और पाँच वर्षों के दौरान बिहार में 1 करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण, उनमें कौशल एवं हुनर में वृद्धि एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने तथा आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने हेतु बिहार सरकार काफी प्रयत्नशील है। बिहार सरकार के इस सद्प्रयास को मूर्त्तरूप देने एवं अपनी भागीदारी तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अपने प्रांगण में ही एक निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र, आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया है। जिसकी समन्वयक श्रीमती गीता जैन हैं।

प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन दिनांक 8 फरवरी 2014 को हुआ था। उस समय सिलाई-कटाई, क्विल्ट वैग एवं मेहंदी का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके पश्चात् चैम्बर ने निर्णय लिया कि महिलाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जाये। इसके लिए चैम्बर ने प्रशिक्षण केन्द्र में ही कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की। कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय केन्द्रीय कौशल विकास, उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य मंत्री के कर कमलों द्वारा 14 अप्रील 2015 को हुआ।

अभी तक करीब 1541 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उनमें से 551 महिलाएँ आज आपके कर कमलों द्वारा प्रमाण-पत्र ग्रहण करेंगी। अगले सत्र से व्युटीशियन एवं मेंहदी का कोर्स शुरू किया जायेगा ताकि प्रशिक्षु महिलाओं को प्रशिक्षण के पश्चात् शीघ्र रोजगार मिल सके।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

जब तक बुलेटिन का यह संस्करण आपके हाथों में होगा, वस्तु एवं सेवा कर **(GST)** देश में लागू हो चुका होगा। चैम्बर ने पूरा प्रयास किया कि **GST** की तैयारी के लिए कुछ दिनों बाद इसे 1 सितम्बर, 2017 से लागू किया जाय। इस आशय का एक स्मार-पत्र भी चैम्बर ने केन्द्रीय राजस्व सचिव श्री हँसमुख अढिया से उनके पटना आगमन के दौरान मिलकर दिनांक 17 जून, 2017 को समर्पित किया था। पर सम्भवतः केन्द्र सरकार ने इसे 1 जुलाई, 2017 से ही लागू करने का मन बना लिया है।

व्यवसायियों को यह आशंका है कि **GST** से कहीं नोटबन्दी के बाद जैसी अफरा-तफरी की हालात न पैदा हो जाये। कैट एवं एसोचैम ने भी इसे आगे बढ़ाने की मांग की थी। अधिकांश पुराने व्यवसायी न तो **GST** में माइग्रेशन ही करा पाये हैं और न ही अपना डाटा कम्प्यूटराइज्ड कर पाये हैं। उन्हें तारीख बढ़ने की उम्मीद थी। बहरहाल, जब यह लागू ही हो जायगा तो अब यह देखना सुखद होगा इसका कितना लाभ उद्यमियों, व्यापारियों एवं आम जनता को मिलता है।

बड़े ही हर्ष की बात है कि बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द जी को देश के अगले राष्ट्रपति पद हेतु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन **(NDA)** ने उम्मीदवार बनाया है। आशा है कि उनकी योग्यता एवं कुशलता के आलोक में देश के सभी राजनीतिक दल उनका समर्थन करेंगे। चैम्बर उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशान्वित है।

माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव के कर-कमलों द्वारा दिनांक 3 जून, 2017 को चैम्बर द्वारा स्थापित निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित 551 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। माननीय मंत्री महोदय ने चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की सराहना की। इस आयोजन में आप की सहभागिता हेतु धन्यवाद।

पटना के नव निर्वाचित महापौर श्रीमती सीता साहू और उप महापौर श्री विनय कुमार पप्पु जी ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। मैं उन्हें आप सबों की ओर से बधाई देता हूँ तथा उम्मीद करता हूँ कि चैम्बर के आगामी किसी कार्यक्रम में उनका आना सम्भव हो सकेगा।

इसी बीच गंगा पर दो-दो नये पुलों का उद्घाटन हुआ है जिससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का व्यापार और सुगम होगा, ऐसी उम्मीद है।

आपका

पी० के० अग्रवाल

आदरणीय महोदय, गत् 50 वर्षो के अंतराल में चैम्बर ने किसी भी तरह की सरकारी सहायता नहीं ली है। चैम्बर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन अपने उपलब्ध संसाधनों से करता रहा है।

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर कई महिलाएँ जॉब कर रही हैं, सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर कई महिलाएँ स्वरोजगार कर रही है, कुछ महिलाएँ घरेलु कपड़े सिल कर अपना पैसा बचा रही है।

चैम्बर उपाध्यक्ष-सह-संयोजक, कौशल विकास उप-समिति श्री मुकेश कुमार जैन ने कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि पूर्व में दिनांक 01 अगस्त, 2014 को श्री नवीन कुमार वर्मा, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, उद्योग विभाग एवं श्री संजय कुमार, भा.प्र.से., सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा 121 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। उसी दिन प्रशिक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर 11 महिलाओं को अपना स्वरोजगार चलाने हेतु चैम्बर द्वारा सिलाई मशीन भी प्रदान किया गया।

दिनांक 14 अप्रील 2015 को कुल 73 प्रशिक्षु महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र तथा चैम्बर द्वारा उपलब्ध कराये गये सिलाई-कटाई में उपयोग आने वाले उपकरणों युक्त बैग, माननीय कौशल विकास मंत्री, श्री राजीव प्रताप रूडी जी के कर-कमलों द्वारा प्रदान किया गया।

दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय बिहार विधान सभा के कर-कमलों से 285 प्रशिक्षु महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

दिनांक 27 जुलाई 2016 को कुल 310 महिलाओं को श्री दीपक कुमार सिंह, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग एवं डॉ एन. विजया लक्ष्मी, भा.प्र.से., अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

17 दिसम्बर 2016 को प्रशिक्षण प्राप्त दिव्यांग सुश्री आरती को बिजली द्वारा संचालित सिलाई मशीन प्रदान किया गया।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन श्री बिजय कुमार चौधरी, माननीय स्पीकर, बिहार विधान सभा, श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, माननीय श्रम मंत्री, बिहार सरकार, श्री नवीन वर्मा, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग एवं डा० एन. विजयालक्ष्मी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार सरकार, श्री गंगा कुमार, प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, श्रीमती अंजू रंजन, बीरगंज स्थित कस्टम कार्यालय में नियुक्त भारतीय कन्सुलेट जनरल, दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के राजदूत एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया बन्धुओं द्वारा किया गया। सबों ने चैम्बर के इस सद्प्रयास की सराहना की है।

हमे खुशी है कि चैम्बर द्वारा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात् सुश्री संध्या कुमारी, श्रीमती धनावती देवी, सुश्री चंचला सोनी, सुश्री पल्लवी सोनी, श्रीमती तनुजा गुप्ता, श्रीमती गुड़िया कुमारी, सुश्री हीना प्रवीण, सुश्री निधि कुमारी, सुश्री निशात फातमा एवं सुश्री गजाला आफ्रीन नौकरी कर रही हैं। सिलाई कटाई का प्रशिक्षण प्राप्त कुछ महिलाएँ भी नौकरी कर रही हैं, कुछ अपना रोजगार कर रही हैं, कुछ महिलाएँ घरेलु कपड़ों की स्वयं सिलाई कर घर का पैसा बचा रही हैं।

माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री राम कृपाल यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज बिना सरकारी सहायता के अपने खर्चे पर महिलाओं और बच्चियों को कम्प्यूटर, सिलाई-कढ़ाई, मेंहदी आदि का प्रशिक्षण दे रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में चैम्बर का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु चैम्बर द्वारा किया जा रहा कार्य प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में अगर कोई संस्था इस तरह की योजना चलाए तो यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इसे और व्यापक स्तर पर चलाने का सुझाव दिया। साथ ही महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार भी उपलब्ध कराने का सलाह दी।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की इच्छा है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले। इसी के आलोक में कौशल विकास मंत्रलय की शुरूआत की। देश में 76 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जब कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आजीविका मिशन योजना के तहत 55 लाख ग्रामीण महिलाओं

को भी काम दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सहायता कर रहा है। चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण ग्रहण करने वाली महिलाओं को मंत्री महोदय ने सुझाव दिया कि वे स्वयंसेवी संस्थाओं से भी जुड़े।

इस अवसर पर चैम्बर से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सुश्री संध्या कुमारी ने कहा कि चैम्बर से प्रशिक्षण प्राप्त कर मुझे डोमिनोज पिज्जा में नौकरी मिल गयी है। इसके लिए मैं चैम्बर की आभारी हूँ।

सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर सुश्री सुधा कुमारी ने कहा कि चैम्बर से प्रशिक्षण प्राप्त कर मैंने सिलाई सेन्टर खोल लिया है। इसके लिए मैं चैम्बर के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।

कार्यक्रम के दौरान चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल ने माननीय मंत्री महोदय को चैम्बर की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित कॉफी टेबुल बुक "The Bihar Chamber" भेंट किया।

कार्यक्रम में महामंत्री श्री शशि मोहन, श्री सच्चिदानन्द, श्री सांवल राम डूलिया, श्री अमित मुखर्जी, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री पवन कुमार भगत, डॉ. गीता जैन, श्री ओम प्रकाश टीबड़ेवाल, श्री अजय कुमार, श्री एम.पी. जैन, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता, श्री किशोर कुमार अग्रवाल सहित प्रेस एवं मीडिया बन्धु उपस्थित थे।

महामंत्री श्री शशि मोहन के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम की झलकियाँ

माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव जी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में महामंत्री श्री शशि मोहन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन।

प्रशिक्षु महिला को प्रमाण-पत्र प्रदान करते माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव। उनकी बाँयी ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन। दाँयी ओर महामंत्री श्री शशि मोहन एवं उपाध्यक्ष सह संयोजक, कौशल विकास उप समिति, श्री मुकेश कुमार जैन

कार्यक्रम को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। मंच पर आसीन माननीय मंत्री महोदय एवं चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं अन्य।

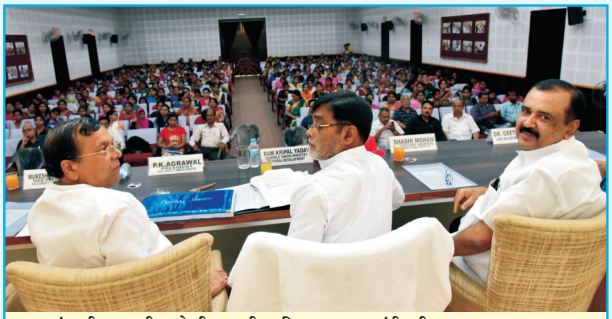

मंचासीन माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव। बाँयी ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। दांयी ओर महामंत्री श्री शशि मोहन सहित पूरे सभागार का एक दृश्य ।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव। मंचासीन चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं अन्य।

चैम्बर के प्रति आभार व्यक्त करती कम्प्युटर प्रशिक्षित महिला सुश्री सुधा कुमारी ।

प्रशिक्षु महिला को प्रमाण-पत्र प्रदान करते माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, महामंत्री श्री शशि मोहन एवं उप सचिव श्री सुरेश राम।

माननीय केन्द्रीय मंत्री महोदय को ''कॉफी टेबुल'' भेंट करते चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल।
साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

प्रमाण-पत्र प्राप्त महिलाओं के साथ उपस्थित माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, महामंत्री श्री शशि मोहन, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन, श्री किशोर कुमार अग्रवाल एवं अन्य ।

चैम्बर में माल एवं सेवा कर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

जीएसटी प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करतीं श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग। उनकी बाँयी क्रमशः श्री शिव नारायण सिंह, मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा-कर, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं सह-संयोजक, वैट उप समिति श्री आलोक पोद्दार तथा दाँयी ओर श्री अरूण कुमार मिश्रा, अपर सचिव, वाणिज्य-कर विभाग।

किसी व्यापारी के पास जीएसटी लागू होने के पहले का स्टॉक है और उसे जीएसटी लागू होने के बाद बेचा जाता है तो उसपर भी जीएसटी के तहत टैक्स लगेगा। लेकिन पूर्व के स्टॉक पर लगे टैक्स का इनपुट क्रेडिट विभिन्न शर्तों के अधीन प्राप्त होगा। ये बातें वाणिज्य कर विभाग के अपर सचिव और जीएसटी काउंसिल के लॉ ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य अरुण कुमार मिश्रा ने कही। वे दिनांक 30.5.2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रिज के सहयोग से वाणिज्य कर विभाग के विशेष अंचल एवं पाटलिपुत्रा अंचल की ओर से आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में बोल रहे थे।

श्री मिश्रा ने कहा कि पुराने स्टॉक से संबंधित टैक्स का प्रूफ नहीं होने पर भी क्रेडिट दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पुराने स्टॉक पर छह महीने तक ही क्रेडिट दिए जाएगा। वहीं, अगर कोई अपने पुराने स्टॉक के बारे में आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए जाने की तिथि, इनवॉयस नंबर और संबंधित जानकारी 30 जुलाई तक बता देता है तो ऐसी स्थिति में भी क्रेडिट का लाभ मिलेगा। यह लाभ जीएसटी लागू होने की तिथि से एक साल पहले तक के स्टॉक पर मिलेगा। कोई सीएनएफ किसी कंपनी के माल को जिसपर एक्साइज दिया है, डीलर को देता है और उसपर केवल वैट चार्ज करता है, ऐसी स्थिति में इनवॉयस होने पर 40

प्रतिशत वैसे इनपुट क्रेडिट का लाभ मिलेगा, जो एक्साइज से सर्बंधित कर का विवरण इनवॉयस में अंकित नहीं रहेगा। वैसे मामलों में 40 प्रतिशत आईटीसी का उपभोग किया जा सकता है। उन्होंने ट्रांजिशन प्रोविजन, इनवॉयसिंग, ईवे बिल, रिटर्न, माइग्रेशन एवं पेमेंट की बारीकियों को बताया।

कार्यक्रम का उद्घाटन वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव सह आयुक्त सुजाता चतुर्वेदी ने किया। अपने संबोधन में प्रधान सचिव ने कहा कि जिन व्यवसायियों द्वारा अभी तक माइग्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है, उनके लिए एक जून से 15 जून तक अंतिम अवसर के रूप में जीएसटी पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यशाला में वाणिज्य-कर अपर आयुक्त अरुण वर्मा, राजीव कुमार, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त श्री शिव नारायण सिंह, भा.रा.से., पी० के० कटियार, अशोक कुमार झा, संतोष कुमार, एम० एन० मिश्रा, एस० के० मिश्रा, बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के उपाध्यक्ष एन० के० ठाकुर, मुकेश जैन, विशाल टेकरीवाल, किशोर कुमार अग्रवाल उपस्थित रहे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 31.5.2017)

साक्षात्कार

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लेकर व्यापार जगत में हलचल तेज है। सभी पहली जुलाई का इंतजार कर रहे हैं। जबसे इसे देश में लागू होगा है। व्यापारी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि जीएसटी लागू होने पर बिल कैसे बनेगा, रिटर्न कैसे भरा जाएगा। यह सवाल भी व्यापारियों के साथ-साथ आम नागरिकों की जुबान पर है कि क्या जीएसटी लागू करने के लिए पूरा सिस्टम तैयार कर लिया गया है। बिहार चैम्बर आफ कॉमर्स के अध्यक्ष **पी. के. अग्रवाल** जीएसटी पर आरंभ से ही नजर रख रहे हैं।

दैनिक जागरण के **एस ए शाद** के साथ विशेष बातचीत में वह जीएसटी के विभिन्न पहलुओं एवं इसकी बारीकियों पर प्रकाश डाल रहे...

प्रोफाइल

पी. के. अग्रवाल पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेट है। वह 1974 से चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मूल रूप से पटना सिटी के निवासी पी. के. अग्रवाल सातवीं बार बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने हैं। पहली बार वह 1993 में चैम्बर के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने बी. कॉम की डिग्री लेने के बाद सीए की पढ़ाई की।

पहली जुलाई से जीएसटी लागू होना है। क्या व्यापार जगत इसके लिए तैयार है?

जीएसटी कार्उंसिल की अबतक 17 बैठकें हो चुकीं हैं। हर बैठक में कुछ नए फैसले लिए जा रहे हैं। छोटे ही सही, लेकिन इन फैसलों के कारण भ्रम फैल रहा है। जीएसटी पर किताब भी इसी कारण अबतक प्रकाशित नहीं हुई है। इसका इंतजार है कि हर पहलू पर फैसला हो जाए तो फिर पुस्तक छापी जाए। यह पुस्तक व्यापारियों के साथ-साथ सभी के लिए जागरूकता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगी। व्यापारी चाहते हैं कि जीएसटी के लागू होने से पहले उन्हें हर छोटी-बड़ी बात की जानकारी रहे। लेकिन वह काम नए-नए निर्णय के कारण अबतक नहीं हो पाया है। यही कारण है कि जीएसटी में हर अच्छाई होने के बावजूद इसे लेकर भ्रम है।

छोटे ही सही, नए-नए फैसले फैला रहे भ्रम

- **जीएसटी से व्यापारियों को क्या लाभ होगा? क्या बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके पक्ष में है?**

जवाब : जीएसटी पर हमारी सहमति दो कारणों से है। पहला तो यह कि उपभोक्ता राज्य होने के कारण बिहार का राजस्व बढ़ेगा दूसरा यह कि व्यापारियों को एक साथ कई प्रकार के टैक्स देने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अभी देखें तो वैट, लग्जरी टैक्स, इंट्री टैक्स, मनोरंजन टैक्स जैसे राज्य के करों के अलावा केन्द्र सरकार के एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स जैसे टैक्सों से वास्ता पड़ता है। इन सबका एक्ट भी अलग -अलग है और कम्प्लाइंस भी जुदा-जुदा। जीएसटी लागू होने पर इतने सारे टैक्स से छुटकारा मिलेगा, साथ ही एक्ट भी एक केवल एक रहेगा। इसके अलावा जीएसटी की व्यवस्था पैन आधारित है। इसके कारण रिटर्न भरने में बड़ी सुविधा होगी।

- **क्या बिहार जैसे राज्य के पास आनलाइन व्यवस्था के लिए पर्याप्त संसाधन तैयार हैं?**

बिहार में अभी भी हर जगह कम्प्यूटर की सुविधा नहीं है। अगर कम्प्यूटर हैं तो फिर इंटरनेट नहीं। अगर दोनों हैं तो फिर बिजली की समस्या। आनलाइन व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में घबराहट है। लेकिन उनकी मदद के लिए जगह-जगह हेल्पलाइनें बन रही हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट और अधिवक्ता व्यापारियों की मदद के लिए मौजूद हैं। आरंभ में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन इसे लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है।

- **छोटे व्यवसायियों पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा?**

20 लाख तक का सालाना व्यापार करने वालों को जीएसटी से दूर रखा गया है। साथ ही 75 लाख सालाना तक के व्यापार पर कम्पाउंडिंग यानी एक निर्धारित राशि टैक्स के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह कम्पाउंडिंग की व्यवस्था सर्विस सेक्टर के लिए नहीं है। हमारी मांग है कि इसे सर्विस सेक्टर के लिए भी लागू किया जाए।

- **ऐसा कोई फैसला जिसके कारण भ्रम पैदा हो रहा हो?**

शिड्यूल ऑफ रेट को लेकर भ्रम है। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में 66 आइटम के मूल्य तय किए गए। इसमें कहा गया है कि रजिस्टर्ड ब्रांड के लिए अलग स्लैब रहेगा। रजिस्टर्ड ब्रांड की जगह रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क की चर्चा होनी चाहिए थी। मैदा, आटा का जिक्र किया गया है, लेकिन सूची से सूजी गायब है। इन्हें तो 'व्हीट प्रोडक्ट' के नाम से कालम रखना चाहिए था। अब आप ही बताइये आटा, मैदा का तो जिक्र है, चोकर कहाँ जाएगा? कहा गया था कि माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट के लिए ई-वे बिल का सिस्टम लागू होगा। लेकिन सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं रहने के कारण इसे तीन-चार माह के लिए टाल दिया गया है। कहा गया है कि फिलहाल राज्यों का वे-बिल ही चलेगा। पहले यह कहा गया था कि जुलाई का रिटर्न अगस्त में भरना होगा। लेकिन पूरी तैयारी नहीं होने के कारण अब रिटर्न सितम्बर में भरने को कहा गया है। यह स्थिति देखकर ही हम मांग कर रहे हैं कि जीएसटी को पहली जुलाई की जगह सितम्बर में लागू किया जाए। अपनी इस मांग से चैम्बर ने पिछले दिनों भारत सरकार के राजस्व सचिव हसमुख अढिया को उनके बिहार दौरे के क्रम में अवगत कराया है।

- **टैक्स संग्रह करने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार की एजेंसियों की भूमिका तय कर दी गई है। क्या यह व्यवस्था व्यापारियों के लिए सुविधाजनक है?**

तय हुआ है कि 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले जो टैक्स देंगे उसपर 90 प्रतिशत टैक्स राज्य की एजेंसी और 10 प्रतिशत केन्द्र की एजेंसी नजर रखेगी। 1.5 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वालों के टैक्स पर राज्य एवं केन्द्र सरकार की एजेंसी 50:50 प्रतिशत ध्यान देगी। परन्तु अगर किसी व्यापारी का एक राज्य में 1.5 करोड़ से कम और दूसरे राज्य में 1.5 से अधिक का टर्नओवर है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? टैक्स का बंटवारा कैसे होगा? यह ऐसा सवाल है जिसपर चैम्बर स्पष्ट मार्गदर्शन चाहता है।

यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी बिंदु पर राज्य सरकार नहीं बल्कि जीएसटी कार्उंसिल स्पष्टीकरण देगी।

(साभार : दैनिक जागरण 25.6.2017)

चैम्बर द्वारा स्वर्ण एवं वस्त्र व्यवसायियों हेतु जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में सर्राफा एवं वस्त्र व्यवसायियों को जीएसटी पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता हेतु पाटलीपुत्र सर्राफा संघ एवं पटना थोक वस्त्र व्यवसायी संघ के सहयोग से दिनांक 22 जून 2017 को कार्यशाला आयोजित हुई।

कार्यशाला में जीएसटी पर प्रशिक्षण देने वाणिज्य-कर विभाग के सहायक आयुक्त श्री कृष्ण कुमार एवं सहायक आयुक्त श्री अभीक अवतंश उपस्थित थे। कार्यक्रम दो अलग-अलग सत्रों में हुआ। प्रथम सत्र सर्राफा व्यवसायियों के लिए एवं दूसरा सत्र वस्त्र व्यवसायियों को प्रशिक्षित एवं जागरूक करने के लिए आयोजित हुआ।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए चैम्बर अधयक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि बिहार जैसे राज्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) फायदेमंद है, लेकिन प्रारंभ में कुछ मुश्किलें तो आयेंगी। इसलिए व्यवसायियों को तैयार रहना चाहिए, बाद में समस्याओं का समाधाान वाणिज्य-कर विभाग के साथ मिलकर किया जायेगा।

जीएसटी पर जानकारी देते श्री अभीक अवतंस, सहायक आयुक्त वाणिज्य-कर (बाँयें से प्रथम)। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः श्री कृष्ण कुमार, सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर, श्री पी० के० अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष, श्री विनोद कुमार, अध्यक्ष, पाटलीपुत्र सर्राफा संघ, श्री भरत कुमार एन० मेहता, महामंत्री, सर्राफा संघ एवं श्री मनोज कुमार, कोषाध्यक्ष, सर्राफा संघ।

सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर श्री कृष्ण कुमार ने कहा कि 20 लाख रूपये टर्न ओभर वाले व्यवसायियों को माल एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के तहत पंजीयन कराना अनिवार्य है। जिनका पंजीयन नहीं है, वे 25 जून, 2017 से पुनः पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन से लेकर अन्य तरह की प्रक्रियाएँ ऑनलाईन होंगी।

उन्होंने कहा कि निबंधन के लिए ऑनलाईन आवेदन तीन कार्य दिवस में किया जायेगा। किसी भी तरह का कर भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, आर.टी.जी.एस. के माध्यम से करना होगा। खरीदार एवं विक्रेता विवरण भी ऑनलाईन होगा। 20 लाख रूपये के भीतर टर्नओवर वालों के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। लेकिन इससे उपर के टर्नओवर वालों के लिए अनिवार्य है।

प्रथम सत्र में सर्राफा व्यवसायियों ने अपनी समस्याओं पर अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया। ज्यादातर व्यवसायियों ने रोज के कार्य में आने वाली बाधाओं यथा ग्राहकों को दी जाने वाली रसीद के साथ-साथ राज्य के बाहर से माल मंगवाने, बाहर भेजने तथा रिटर्न फाईल करने में आने वाली समस्याओं पर अधिकारियों से जानकारी मांगी। वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त श्री कृष्ण कुमार एवं सहायक आयुक्त अभीक अवतंश ने व्यवसायियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।

श्री कृष्ण कुमार ने बताया कि नई प्रणाली में सर्राफा व्यापारी को व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) या व्यवसाय से ग्राहक (B2C) के लिए केवल टैक्स इन्वायस जारी करना है जबकि VAT में Tax Invoice एवं Retail Invoice दोनो अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि छोटे स्वर्ण व्यवसायी जिनका वार्षिक टर्नओवर 75 लाख रूपया तक है और कम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, उन्हें सप्लाई का बिल Maintain करना होगा।

इस अवसर पर पाटलीपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार, महामंत्री श्री भरत कुमार एन. मेहता, कोषाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सहित कई अधिकारी तथा सर्राफा व्यवसायी उपस्थित थे।

दूसरे सत्र में वस्त्र व्यवसायियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। पटना थोक वस्त्र व्यवसायी संघ के अध्यक्ष श्री शम्भू नाथ गुप्ता ने कहा कि अभी तक वस्त्र व्यवसाय टैक्स मुक्त था। इसलिए इसके व्यवसायी जीएसटी

जीएसटी कार्यशाला को सम्बोधित करते श्री पी० के० अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष। मंचासीन (दाँयें से बाँयें) श्री पुरुषोत्तम चौधरी, मंत्री, पटना थोक वस्त्र व्यवसायी संघ, श्री शम्भू नाथ गुप्ता, अध्यक्ष, थोक वस्त्र व्यवसायी संघ, श्री आलोक पोद्दार, सह संयोजक, वैट उप समिति, श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष एवं श्री कृष्ण कुमार, सहायक आयुक्त।

से अनभिज्ञ हैं। जीएसटी एक समस्या की तरह लग रही है। इस व्यवसाय में कम पूंजी से काम करने वाले और कम पढ़े-लिखे लोगों की संख्या अधिक है। वस्त्र व्यवसाय मुख्यतः उधार में चलता है। उधार का भुगतान पाँच-छः माह में कई माध्यमों से होता है। बिका माल वापस भी आता है। ऐसी स्थिति में सरकार को राहत देने की आवश्यकता है।

पटना थोक वस्त्र व्यवसायी संघ के सचिव श्री पुरूषोत्तम कुमार चौधरी ने कहा कि टैक्स देने से कोई व्यापारी पीछे नहीं है, बस हम चाहते हैं कि प्रक्रिया आसान हो।

वस्त्र व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान भी सहायक आयुक्त श्री अभीक अवतंश एवं श्री कृष्ण कुमार ने किया।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, वैट उप-समिति के सह-संयोजक श्री आलोक कुमार पोद्दार सहित काफी संख्या में वस्त्र व्यवसायी एवं मीडिया बंधु उपस्थित थे।

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य–कर आयुक्त को जीएसटी से संबंधित ज्ञापन सौंपा

श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग को जीएसटी संबंधी ज्ञापन पर ध्यान आकृष्ट करते चैम्बर अध्यक्ष, श्री पी० के० अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री आलोक पोद्दार एवं श्री सुनील सराफ।

दिनांक 20 जून 2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने आगामी माह से लागू होने जा रहे नई कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा-कर (जीएसटी) से संबंधित बिन्दुओं पर एक संक्षिप्त ज्ञापन समर्पित करते हुए उनसे उस पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया जिससे कि राज्य के व्यवसायियों के मन में जो शंकाएं हैं, वह दूर हो सके। प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री आलोक पोद्दार एवं श्री सुनिल सराफ सम्मिलित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बताया कि वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी ने चैम्बर के सुझावों को व्यवहारिक बताते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि चैम्बर द्वारा दर्शाये गये बिन्दुओं पर विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया जाएगा ।

श्री अग्रवाल ने निम्नांकित बिन्दुओं पर वाणिज्य-कर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट किया :-

1. GST में e-Way Bill को Defer कर दिया गया है और तब तक के लिए राज्यों को अपने वर्तमान परमिट को रखने अथवा नहीं रखने का निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया गया है। बिहार में रोड परमिट की व्यवस्था रहेगी या नहीं और यदि रहेगी तो किसी प्रकार की होगी। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिए।
2. विभिन्न व्यवसायियों को उनके टर्नओवर के अनुरूप Invoice मे कितने Digit का HSN कोड का उल्लेख करना है। इसकी अधिसूचना जारी किया जाना चाहिए।
3. बहुत सारे व्यवसायियों का अभी तक Provisional I.D. प्राप्त नहीं हुआ है अत: इसे अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
4. व्यवसायियों के बीच में GSTIN को लेकर संशय की स्थिति है। इस संबंध में व्यवसायियों को सूचित किया जाना चाहिए कि उनका Provisional ID ही उनका GSTIN Number है। इस संबंध में अधिकाधिक प्रचार/प्रसार किया जाना चाहिए ।

विदित हो कि Enrolment के पश्चात् प्राप्त email में ARN Number का उल्लेख रहता है लेकिन Provisional ID/GSTN में कहीं Mention नहीं रहता है। इसी कारण से यह संशय की स्थिति है। इस संबंध में GSTN को भी सूचित किया जाना चाहिए।

5. जिन व्यवसायियों का Entry Tax में Unadjusted रकम रह जाती है उसका GST में सामंजस्य के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
6. श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में दिनांक 17 जून 2017 को घोषणा के अनुसार CGST/SGST Act की धारा 9(4) के अन्तर्गत 5000/- रुपये प्रतिदिन Transaction तक की छूट के लिए जरूरी प्रावधान Rules में किया जाना चाहिए।
7. GST Council ने विभिन्न Rules approve कर दिए हैं लेकिन केन्द्र एवं राज्य स्तर पर उनकी अधिसूचना नहीं हुई है जो कि अविलम्ब किया जाना चाहिए।
8. श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में दिनांक 17 जून 2017 को राजस्व सचिव, भारत सरकार द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया था उसका Frequently Asked Question की तरह बनाकर प्रकाशित किया जाना चाहिए।
9. व्यवसायियों को जीएसटी के संबंध में समय-समय पर कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहने पर उसके लिए स्पष्टीकरण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे GST Rate Schedule for Goods के क्रम संख्या 11 में आटा, मैदा, बेसन etc (Other than those put up in unit container and bearing a registered brand name) इसमें etc में कौन-कौन Wheat product आएंगे तथा "Registered Brand Name" से क्या तात्पर्य है।

जीएसटी लागू होते ही खत्म होगा हस्तक्षेप

केन्द्रीय राजस्व सचिव ने कहा– आगे नहीं बढ़ेगी तिथि पहली जुलाई से ही लागू होगा जीएसटी, कई वस्तुएं होंगी सस्ती

केन्द्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू होते ही अधिकारियों का हस्तक्षेप न्यूनतम हो जाएगा। टैक्स की पूरी प्रक्रिया आनलाइन रहेगी और अफसर उसमें दखल नहीं दे सकेंगे। वह श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में जीएसटी पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्घाटन वाणिज्य कर मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने किया था।

एक जुलाई से ही लागू होगा : अढिया ने कहा कि जीएसटी को लेकर यह भ्रांति है कि इसके लागू होने में अभी विलंब है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जीएसटी पूर्वघोषित तिथि पहली जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। जीएसटी के नियम का पालन आरंभ हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई है। बिहार आरंभ से ही जीएसटी के पक्ष में रहा है। जीएसटी से बिहार को फायदा होगा। केन्द्रीय राजस्व सचिव ने कार्यशाला में जीएसटी के तकनीकी पक्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जो कामन पोर्टल बनाया गया है उसपर सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। बिहार में बैठ हम जान सकेंगे कि कौन सा माल कहां से बिहार के लिए भेजा गया है।

मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि उपभोक्ता राज्य होने के नाते जीएसटी से बिहार को फायदा होगा। जीएसटी के संबंध में व्यापारियों एवं आम नागरिकों को जानकारी देने के लिए वाणिज्य कर विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। अबतक सौ से अधिक शिविर लगाए जा चुके हैं। लोगों की सुविधा के लिए पटना में अंटाघाट में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जीएसटी लागू होते ही देश में एक बाजार-एक टैक्स के दौर की शुरूआत हो जाएगी। कार्यशाला में वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव डी० एस० गंगवार, वाणिज्य कर विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त मार्कंडेय ओझा, अपर आयुक्त अरुण कुमार वर्मा, उपायुक्त उदयन मिश्रा एवं दीपक कानन भी मौजूद थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 18.06.2017)

जुलाई से नहीं एक सितंबर से लागू किया जाए जीएसटी

- **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने केन्द्रीय राजस्व सचिव को सौंपा ज्ञापन**
- **व्यवसायियों को अभी जीएसटी की पूरी जानकारी नहीं : अग्रवाल**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने एक जुलाई की जगह एक सितम्बर से जीएसटी को लागू करने की मांग की है। बिहार दौरे पर आए केन्द्रीय राजस्व सचिव हंसमुख अढिया को सौंपे गए ज्ञापन में चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहा है कि फिलहाल व्यवसायियों को जीएसटी के नियमों और बारीकियों की पूरी जानकारी नहीं है।

अग्रवाल के मुताबिक जीएसटीएन द्वारा पंजीकृत किसी भी जीएसपी के जरिए अब तक जीएसटी लागू करने की तैयारी नहीं हुई है और जीएसपी ने भी

तारीख को बढ़ाने का अनुरोध किया है। किसी साफ्टवेयर कंपनी की ओर से जीएसटी के लिए साफ्टवेयर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। अधिसंख्य व्यवसायियों को प्रोविजनल आइडी प्राप्त नहीं हुई है। इस वजह से वह जीएसटी में माइग्रेट नहीं हुए हैं।

अग्रवाल ने कहा है कि बैंक भी जीएसटी के लिए तैयार नहीं हैं। बैंकों ने भी तारीख बढ़ाने का आग्रह किया है। उड्डयन विभाग ने भी जीएसटी को एक सितम्बर से लागू करने का आग्रह किया है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, नवीन कुमार मोटानी, आलोक पोद्दार, मनोज आनंद, अनिल पचीसिया, डॉ रमेश गाँधी सहित अन्य कई सदस्य शामिल थे। मौके पर वाणिज्य कर मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, वाणिज्य कर आयुक्त सह प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के मुख्य आयुक्त एस० एन० सिंह, वाणिज्य कर अपर सचिव अरुण कुमार मिश्रा भी उपस्थित थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 18.6.2017)

GST समस्याओं का हल निकालने की तैयारी

उद्योग जगत से वार्ता को 18 समूह गठित

जीएसटी परिषद ने नयी कर व्यवस्था को लागू करने की कवायद और तेज कर दी है। दूरसंचार, बैंकिंग और निर्यात जैसे विभिन्न क्षेत्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए परिषद ने 18 अलग-अलग समूह बनाये हैं, जो उनसे विचार विमर्श करेंगे और समस्याओं का निदान किया जायेगा। ये समूह इन क्षेत्रों के मुद्दों का समयबद्ध तरीके से समाधान करेंगे ताकि अप्रत्यक्ष क्षेत्र की नयी व्यवस्था जीएसटी को आसानी से लागू किया जा सके। इन समूहों में केन्द्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये अधिकारी व्यापार और उद्योग जगत संघों, संस्थाओं से मिले ज्ञापनों का परीक्षण करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। ये समूह उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों की उन खास मुद्दों को भी सामने रखेंगे जिन पर गौर किया जाना है और क्षेत्र विशेष के हिसाब से मसौदा दिशा-निर्देश भी तैयार करेंगे।

कपड़ा उद्योग 18 प्रतिशत जीएसटी दर को लेकर चिंतित : कपड़ा उद्योग सरकार के मानव निर्मित रेशे पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले से चिंतित है। उद्योग का मानना है कि इससे सिंथेटिक धागा बनाने वाली कंपनियों का मार्जिन प्रभावित होगा और रोजगार में कटौती होगी। उद्योग बुनाई, कटाई और पैकेजिंग जैसे रोजगार पर पड़ने वाले असर को लेकर परेशान है और उसे आशंका है कि इससे छोटी इकाइयां बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। एक जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी व्यवस्था में मानव निर्मित रेशे से बने कपड़े तथा धागा के साथ रंगाई एवं छपाई इकइयों तथा एम्ब्रॉयडरी सामानों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। इससे कच्चे माल की लागत में वृद्धि होगी।

(साभार : प्रभात खबर 10.6.2017)

हर माह व्यापारियों को दो रिटर्न भरने हैं, पहला 10 और दूसरा 15 तारीख को

जीएसटी में हर माह व्यापारियों को दो रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तय है। जीएसटीआर-एक को माह की 10 तारीख तक दाखिल करना है, वहीं जीएसटीआर-2 को 15 तारीख तक भरना है। प्रत्येक कंपनी को तीनों तरह के रिटर्न को हर माह भरना होगा और कंपनी द्वारा प्राप्त सभी बिलों को सिस्टम में अपलोड करना होगा। जीएसटीएन पोर्टल के जरिए लेनदेन के रख-रखाव के लिए जीएसटीएन ने दिल्ली और बेंगलुरु में सर्वर स्थापित कर लिया है। करदाताओं को पैन और राज्य के पंजीकरण के आधार पर 15 अंकों की जीएसटी आईडी संख्या का आवंटन किया जाता है।

एक से 15 जून तक जीएसटी पंजीकरण का एक आखिरी प्री- जीएसटी मौका मिलेगा। जीएसटी के तहत करदाता को हर माह दो रिटर्न-जीएसटीआर-वन (कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं के लिए) और जीएसटीआर -टू (इसके खरीदारों के लिए) दाखिल करना होगा। जीएसटीआर-वन में बीते माह की गई सभी खरीदारी का विवरण देना होगा। जिन सप्लायर से वस्तु एवं सेवाओं की खरीद की गई है, उसका डिटेल भी देना होगा। कंपनी को आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त बिलों को जीएसटीआर-वन में अपलोड करना होगा और अपनी बिक्री को जीएसटीआर-2 में दिखाना होगा। आपूर्तिकर्ता, खरीदार के पास अधिकार होगा कि वह दी गई सूचना को स्वीकार करे, उसमें बदलाव करे या उसे रद्द करे। अगर दोनों पक्ष बिलों को स्वीकार करते हैं तो एक अन्य फॉर्म जीएसटीआर-3 स्वत: जेनरेट होगा, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। प्रत्येक कंपनी को तीनों तरह के रिटर्न को हर महीने भरना होगा और कंपनी द्वारा प्राप्त सभी बिलों को सिस्टम में अपलोड करना होगा। **(दैनिक भास्कर, 31.5.2017)**

व्यापारियों को बताईं जीएसटी की बारीकियां

200 रुपए से कम के इनवॉइस की जरूरत नहीं

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद निर्बंधित आपूर्तिकर्ता निर्बंधित प्राप्तकर्ता द्वारा माल या सेवा की सप्लाई करने पर उसे हर हाल में इनवॉइस जेनरेट करना होगा। वहीं, जब निर्बंधित आपूर्तिकर्ता अनिर्बंधित प्राप्तकर्ता को राज्य के भीतर ही सप्लाई करता है तो सारा इनवॉइस अपलोड नहीं करना है।

निर्बंधित आपूर्तिकर्ता जब अनिर्बंधित को राज्य के बाहर सप्लाई करता है, तो ढाई लाख रुपए से ऊपर के इनवॉइस को अपलोड करना होगा। यह बातें वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) अशोक कुमार झा ने कही। वे जीएसटी के संबंध में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला में बोल रहे थे। कार्यशाला का आयोजन वाणिज्य कर विभाग के दक्षिणी अंचल की ओर से किया गया था।

संयुक्त आयुक्त ने कहा कि इनवॉइस जेनरेट करने में इस बात का ख्याल रखा जाना जरूरी है कि 50 हजार रुपए से ऊपर की बिक्री पर क्रेता के राज्य का नाम अनिवार्य रूप से नोट किया जाना है। वैसे 50 हजार से कम का इनवॉइस भी नोट किया जा सकता है। वहीं, 200 रुपए से कम का इनवॉइस जेनरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि क्रेता इनवॉइस न मांगें और पूरे दिन का एक ही बार में बनाकर सिस्टम पर डाला जाए। वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त शंकर कुमार मिश्रा ने व्यवसायियों से एआरएन समय सीमा में जेनरेट करने की अपील की।

संयुक्त आयुक्त मुख्यालय व जीएसटी के आउटरिच कार्यक्रम के समन्वयक मोहनाथ मिश्रा ने कहा कि जीएसटी के तहत हर महीने एक रिटर्न दाखिल करना है वहीं, वर्ष में कुल 12 रिटर्न जमा करना होगा। पूर्व में कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में वाणिज्य कर दक्षिणी अंचल की उपायुक्त विमला कुमारी ने कहा कि इससे जीएसटी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी।

सहायक आयुक्त संजीव कुमार व कुमार शैलेन्द्र ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधानों के बारे में बताया। इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं वैट उप समिति के सह-संयोजक श्री आलोक पोद्दार भी उपस्थित थे। कार्यशाला में कुल 247 करदाता, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेखापाल व आम जनों ने भाग लिया। आखिर में दक्षिणी अंचल की उपायुक्त विमला देवी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.6.2017)**

शराब निर्माता 31 जुलाई तक हटा सकेंगे स्टॉक

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराब निर्माताओं और विक्रेताओं को अपने स्टॉक को राज्य से बाहर ले जाने के लिए इस वर्ष 31 जूलाई तक का समय दिया है। शीर्ष कोर्ट के न्यायाधीश ए० के० सिकरी की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने बिहार में शराबबंदी मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक ब्रेवरेज के आवेदन पर यह आदेश दिया। कन्फेडरेशन का आग्रह था कि बिहार में शराबबंदी की वजह से भारी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में पिछले साल एक अप्रैल से राज्य में शराब की बिक्री व इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। कन्फेडरेशन ने कोर्ट से अनुरोध किया कि दो सौ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की शराब बिहार में है। इस शराब को ऐसे राज्यों में ले जाने की अनुमति दी जाए जहाँ मदिरा का सेवन प्रतिबंधित नहीं है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 30.5.2017)**

जरूर जानें जीएसटी पर सबसे जरूरी 27 सवाल जवाब

केन्द्र सरकार 1 जुलाई को गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू करने जा रही रही है। सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए टैक्स की दरें तय हो गईं और करीब-करीब सभी नियमों को भी हरी झंडी मिल गई। लॉन्चिंग के लिहाज से अब जो थोड़ी-बहुत कमियां बच गई होंगी, उन्हें दूर करने के लिए 30 जून को जीएसटी काउंसिल की एक और मीटिंग होगी। आइये सब जानते हैं जीएसटी के बारे में सबकुछ.....

1. क्या है जीएसटी ?

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एकीकृत कर प्रणाली है। इसमें सभी अप्रत्यक्ष कर को मिला दिया गया है। अब हर राज्य में अलग-अलग कर नहीं लगेगा बल्कि देशभर के लिए एक जीएसटी होगा।

2. क्या जीएसटी उपभोक्ता को भी देना होगा?

इसमें सेवा कर भी शामिल है। इसलिए एसी रेस्त्रां में खाने, ट्रेन-हवाई यात्रा और अन्य सेवाओं पर उपभोक्ता को भी जीएसटी चुकाना होगा। लेकिन इसे संबंधित सेवा प्रदाता वसूलेंगे और जमा करेंगे।

3. क्या जीएसटी में सबको रिटर्न भरना होगा?

नहीं। केवल 20 लाख रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले व्यक्ति या संस्थाएं ही जीएसटी चुकाएंगी।

4. आम आदमी को जीएसटी से कैसे फायदा होगा?

एक कर होने से कर के ऊपर कर नहीं चुकाना पड़ेगा। इससे वस्तु एवं सेवाएं सस्ती होंगी।

5. क्या जीएसटी में सभी तरह की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर समान है?

नहीं। इसके तहत कर की चार श्रेणी है। इसमें 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी है।

6. खाने-पीने के समान पर कितना कर लगेगा?

जीएसटी के तहत खाने-पीने के ज्यादातर सामान पर कोई कर नहीं है। जबकि कुछ वस्तुओं पर सबसे निचली दर पाँच फीसदी की श्रेणी में रखा गया है।

7. क्या दूध और घी पर जीएसटी लगेगा ?

दूध को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जबकि घी पर जीएसटी लगेगा।

8. काजू पर जीएसटी की दर क्या है?

इसपर पाँच फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले इसपर 12 फीसदी GST लगाने का प्रस्ताव था जिसे बाद में घटा दिया गया।

9. क्या बिक्री कर और वैट अलग से चुकाना होगा?

नहीं। जीएसटी में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, और मूल्यवर्द्धित कर (वैट) सबको मिला दिया गया है। इसलिए इन्हें अलग से चुकाने की जरूरत नहीं होगी।

10. क्या जीएसटी से चुंगी कर खत्म हो जाएगा?

हाँ। अब राज्यों में प्रवेश कर (चुंगी) खत्म हो जाएगा। इसे भी जीएसटी में मिला दिया गया है।

11. क्या जीएसटी से आयकर का बोझ घटेगा?

आयकर का जीएसटी से सीधे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जीएसटी की वजह से कर वसूली बढ़ेगी तो भविष्य में इससे आयकर की दरों में राहत की उम्मीद कर सकते हैं।

12. जीएसटी से मकान के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे?

इससे मकान के दाम घटेंगे। वर्तमान में निर्माणाधीन मकान पर 4.5 फीसदी का सेवा कर लगता है जो जीएसटी में बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगा। इसके बावजूद मकान के दाम घटेंगे क्योंकि अभी निर्माण सामग्री पर उत्पाद शल्क, वैट और चुंगी कर है। लेकिन वतर्मान समय में इनका कोई इनपुट क्रेडिट (रिफंड) नहीं मिलता है। जबकि जीएसटी में पूरा क्रेडिट मिलेगा और बिल्डर इन सब चीजों पर जो कर चुकाएगा वह उसे वापस मिल जाएगा।

13. जीएसटी से कैसा सस्ता होगा मकान?

यदि ठेकेदार दो हजार रुपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से बिल्डर से 18 फीसदी सेवा कर 360 रुपये प्रति वगर्फुट वसलूता है। इसके बाद बिल्डर फ्लैट का दाम तीन हजार रुपये प्रति वगर्फुट रखता है तो 12 फीसदी जीएसटी की दर 360 रुपये प्रति वगर्फुट कर बनेगा। 360 रुपये प्रति वगर्फुट जीएसटी ठेकेदार पहले ही दे चुका है तो इस स्थिति में बिल्डर को कोई कर नहीं चुकाना होगा। इस स्थिति में खरीदार से भी वह सेवा कर नहीं वसूल सकता है।

14. हर माह की बिक्री का रिटर्न भरने की तारीख क्या होगी?

जीएसटी कानून के तहत एक महीने में की गई सभी प्रकार की बिक्री या कारोबार के लिए रिटर्न अगले महीने की 10 तारीख तक भरनी है। इसीलिए अगर जीएसटी 1 जुलाई से लागू होता है, तो बिक्री का आंकड़ा 10 अगस्त तक अपलोड करना है।

15. क्या रिटर्न के लिए कोई प्रारूप है जिसे देखकर रिटर्न भरा जा सकेगा?

25 जून तक जीएसटीएन पोर्टल पर एक्सेल शीट जारी की जाएगी। इससे करदाताओं को उस प्रारूप के बारे में पता चलेगा जिसमें सूचना देनी है।

16. रिटर्न का ब्योरा भरने का तरीका क्या होगा?

एक्सेल शीट में कंपनियों को रसीद (इनवायस) संख्या, खरीदार का जीएसटीआईएन, बेचे गये सामान या सेवाएँ, वस्तुओं का मूल्य या बिक्री की गई सेवाएं, कर प्रभाव तथा भुगतान किए गये कर जैसे लेन-देन का ब्योरा देना होगा।

17. रिटर्न फॉर्म कब से मिलना शुरू होगा?

जीएसटी रिटर्न फार्म जुलाई के मध्य में उपलब्ध कराया जाएगा।

18. किराने की दुकान में ग्राहक 5-10 रुपए का भी सामान खरीदते हैं। क्या उनका भी बिल बनाना पड़ेगा?

खरीदार बिल मांगता है तो उसे देना पड़ेगा। नहीं चाहिए तो 200 रुपए से कम के सभी लेन-देन के बदले पूरे दिन में एक बिल बना सकते हैं। इनके खरीदार आम ग्राहक यानी अनरजिस्टर्ड होने चाहिए।

19. क्या सबको एक जैसा बिल बनाना है?

नहीं। जीएसटी करदाता इसका डिजाइन तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, बिल बनाने के नियम के मुताबिक कुछ जरूरी जानकारियां उस पर होनी चाहिए।

20. जीएसटीएन पर पंजीकरण दोबारा कब शुरू होगा?

25 जून से जीएसटीएन पर पंजीकरण शुरू होगा।

21. क्या जीएसटी के लिए हमेशा इंटरनेट की जरूरत है?

नहीं। केवल जीएसटी रिटर्न के लिए महीने में एक बार इंटरनेट की जरूरत होगी। हर रोज कप्यूटर पर ब्योरा दर्ज करने की भी जरूरत नहीं है।

22. बिल ऑफ सप्लाई क्या है? कौन जारी करेगा?

कर से छूट वाली वस्तुएं एवं सेवाओं के लिए जो बिल बनेगा उसे बिल ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। पंजीकृत व्यक्ति बिल की जगह इसे जारी करेगा। इसमें भी आम ग्राहक (अनरजिस्टर्ड) व्याक्ति को 200 रुपए से कम की आपूर्ति के लिए बिल जरूरी नहीं है।

23. रिसीट और रिफंड वाउचर क्या है?

पंजीकृत कारोबारी को किसी वस्तु एवं सेवा के लिए अग्रिम (एडवांस) भुगतान मिलता है तो उसके बदले उसे रिसीट वाउचर बनाना पड़ेगा। बाद में वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति नहीं हुई तो पैसे लौटाते वक्त रिफंड वाउचर बनेगा।

24. क्रेडिट और डेबिट नोट कब जारी होंगे?

आपूर्तिकर्ता ने जिस कीमत का कर का बिल बनाया और बाद में पता चला कि कीमत कम है। तब वह क्रेडिट नोट जारी करेगा। इसी तरह यदि बाद में पता चलता है कि कीमत ज्यादा है तो डेबिट नोट जारी होगा। इसी तरह खरीदार ने सामान लौटाया या सामान की मात्रा कम निकली तब भी आपूर्तिकर्ता क्रेडिट नोट जारी करेगा।

25. क्या छोटे कारोबारियों के लिए बिल पर प्रोडक्ट कोड नंबर (एचएसएन) लिखना जरूरी है।

नहीं। जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपए तक है उन्हें बिल पर

एचएसएन कोड लिखने की जरूरत नहीं है।

26. टैक्स की रसीद या बिल कौन और कब जारी करेगा?

इसे जीएसटी के दायरे में आने वाले उत्पाद की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति जारी करेगा। सामान के लिए बिल उसे भेजने से पहले या भेजते वक्त जारी होगा। सेवाओं का बिल या रसीद आपूर्ति के 30 दिन बाद तक जारी किया जा सकता है।

27. क्या जीएसटी से महंगाई बढ़ने की आशंका है?

नहीं, सरकार का आकलन है कि जीएसटी से खुदरा महंगाई दो फीसदी तक घट सकती है। **(साभार : लाइव हिन्दुस्तान, 19.6.2017)**

सोलर पैनल के सामान पर लगेगा 5% जीएसटी : हसमुख अढिया

- **सोलर पैनल पर शुरूआत में 18% की दर से टैक्स लगाने का था प्रस्ताव**
- **सरकार ने ट्विटर पर दिए लोगों के जीएसटी संबंधी सवालों के जवाब**

सवाल : क्या जीएसटीएन रिटर्न दाखिल करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) या कोई अपलोड टूल उपलब्ध कराएगा?

जवाब : जीएसटी के लागू होने के बाद एक ऑफ लाइन यूटिलिटी उपलब्ध होगी।

सवाल : जीएसटी के रिटर्न के फॉर्मेट और संबंधित एपीआइ को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

जवाब : जीएसटी रिटर्न के फॉर्मेट जीएसटी काउंसिल की 3 जून को होने वाली 15वीं बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

सवाल : प्रोविजलन यूजर आईडी और पासवर्ड का अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए।

जवाब : अपने राज्य के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क करें।

सवाल : एक जून से जीएसटी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। क्या यह उन लोगों के लिए जो वैट या सेल्स टैक्स नहीं देते हैं और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं?

जवाब : यह सिर्फ करदाताओं के मौजूदा व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था से जुड़ने के लिए है।

सवाल : एक्सपोर्ट के मामले में जीएसटी की राशि सीधे खाते में आएगी? या फिर रिबेट के लिए कागजात दाखिल करने होंगे?

जवाब : रिफंड / रिबेट के लिए आवेदन करना होगा। इसकी प्रोसेसिंग के बाद जितनी राशि देय होगी वह सीधे बैंक खाते में चली जाएगी।

जीएसटी की दरों में संशोधन का अधिकार सिर्फ जीएसटी काउंसिल को : सीबीईसी प्रमुख

जीएसटी के तहत विभिन्न वस्तुओं-सेवाओं पर तय दरों में संशोधन का अधिकार सिर्फ जीएसटी काउंसिल को है। विभिन्न उद्योगों-कारोबार से सरकार को दरों में संशोधन के लिए मांगे मिल रही है। किसी उत्पाद की टैक्स की दर में संशोधन होना है या नहीं, इस पर जीएसटी काउंसिल ही फैसला करेगी।

जीएसटी लागू होने पर पहले नौ महीनों में सरकार को सेस से 55,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद : केन्द्र को जीएसटी लागू होने पर पहले नौ महीनों में सेस से 55, 000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसका बड़ा हिस्सा डिमेरिट्स गुड्स और लग्जरी गुड्स से मिलेगा। कोयले के साथ ही लग्जरी और डिमेरिट्स गुड्स से मिलने वाले सेस की राशि जीएसटी से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई में इस्तेमाल की जाएगी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 30.5.2017)

जीएसटी से उपभोक्ताओं और कारोबारियों को राहत

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से राज्य, राष्ट्र और उपभोक्ताओं के साथ कारोबारियों को भी फायदा होगा। मेडिकल औजार मंगाने के लिए रोड परमिट और इंट्री टैक्स का झंझट दूर होगा। नई कर प्रणाली से राजस्व बढ़ेगा क्योंकि आयात पर सेवा शुल्क भी प्राप्त होगा। ये बातें केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के आयुक्त विनायक चंद्र गुप्ता ने को दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रश्न पहर में जीएसटी और आइजीएसटी से संबंधित पाठकों के सवालों के जवाब में कहीं। प्रस्तुत है, सवाल-जवाब के प्रमुख अंश।

जीएसटी में प्रैक्टिशनर के रूप में कार्य करना चाहता हूँ। संबद्धता के लिए क्या करना होगा? जीएसटी डॉट इन पोर्टल पर कई बार प्रयास कर चुका हूँ।

जीएसटी डॉट इन पोर्टल पर इनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध है। आप फॉर्म को डाउनलोड करें। उसे भरकर अपलोड कर दें। आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। जो भी रिटर्न दाखिल करेंगे, उसमें इनरोलमेंट नंबर देना अनिवार्य होगा। संभव है कि नेटवर्क की वजह से तकनीकी बाधा के कारण पोर्टल पर इनरोलमेंट प्रक्रिया शो नहीं कर रही।

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औजार मंगाने के लिए रोड परमिट का इंतजार करना पड़ता है। जीएसटी के प्रभावी होने के बाद भी पुरानी प्रक्रिया अपनानी होगी?

यदि मेडिकल औजार राज्य के बाहर से बनकर आता है तो अब सिर्फ जीएसटी लगेगा। यदि राज्य के भीतर आपूर्ति करनी है, तो एसजीएसटी (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) देय होगा। बाहर का वेंडर आपूर्ति करता है तो आइजीएसटी का भुगतान करेगा। टैक्स कार्यालय में भागदौड़ करने की परेशानी नहीं होगी।

जीएसटी के प्रभावी होने से उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा?

मल्टी स्टेज टैक्स की व्यवस्था समाप्त होने से महंगाई काबू में आएगी। टैक्स भुगतान में सरलीकरण से एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामग्री परिवहन की बाधा दूर होगी। कदाचार की गुंजाइश समाप्त होगी।

नए फार्म को जीएसटी में कैसे निवंधित करा सकते हैं?

वैट और उत्पाद शुल्क को जोड़कर अब सिर्फ एक टैक्स जीएसटी देना होगा जाएगा। नई कर संरचना में इंट्री टैक्स और रोड परमिट की बाधा नहीं है। 50 हजार से अधिक की सामग्री एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल विवरणी मिलेगा। यह एक से 15 दिनों का होगा जो अलग-अलग दूरी के हिसाब से मान्य होगा।

जीएसटी में निबंधित कारोबारी क्या अधिकतम खुदरा बिक्री दर से कम या अधिक पर सामान की बिक्री कर सकता है?

अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य में सभी टैक्स शामिल होते हैं, इसलिए इससे अधिक कीमत नहीं ली जा सकती। यदि कोई एमआरपी से कम पर सामान बेचता है तो ये कारोबारी के विवेक का मामला है। **(सा० : दैनिक जागरण, 8.6.2017)**

इनपुट-क्रेडिट फूड-बेवरेज का नहीं मिलेगा टैक्स क्रेडिट, कंपनी ने कर्मचारी का बीमा कराया तो उसका भी नहीं

- **किस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा? कौन क्लेम कर सकता है?**

बिजनेस के सिलसिले में वस्तु या सेवा की सप्लाई पर जो भी टैक्स चुकाया गया, उसका क्रेडिट मिलेगा। इसके लिए व्यक्ति का रजिस्टर्ड होना जरूरी है।

- **क्रेडिट क्लेम करने की शर्तें क्या हैं?**

- व्यक्ति के पास रजिस्टर्ड सप्लायर द्वारा जारी टैक्स इनवॉयस या डेबिट नोट होना चाहिए। या कोई और डॉक्यूमेंट जिससे टैक्स देने की बात साबित हो।
- सप्लायर ने टैक्स की राशि सरकार के पास कैश या इनपुट क्रेडिट के रूप में जमा की हो।
- इनवॉयस रूल्स के मुताबिक डॉक्यूमेंट (जीएसटीआर - 2) में जरूरी सूचनाएं हों।
- सेक्शन 39 के मुताबिक रिटर्न फाइल किया गया हो (जीएसटीआर-3)।
- सप्लायर द्वारा इनवॉयस जारी करने के 180 दिनों में उसे कीमत और टैक्स का भुगतान किया गया हो। सामान किस्तों में मिला है तो आखिरी किस्त के बाद क्लेम कर सकेंगे।

- **180 दिनों पेमेंट नहीं किया तो?**

ब्याज समेत क्रेडिट वापस करना होगा। जीएसटीआर-2 में इसका उल्लेख करना पड़ेगा। पेमेंट के बाद क्रेडिट ले सकते हैं।

- **क्रेडिट क्लेम करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?**

- सेक्शन 31 के मुताबिक सप्लायर द्वारा जारी इनवॉयस (टैक्स इनवॉयस)।
- रिवर्स चार्य (आरसीएम) है तो चुकाए गए टैक्स का आरसीएम इनवॉयस।
- सेक्शन 34 के मुताबिक सप्लायर द्वारा जारी डेबिट नोट।

- इंपोर्टेड चीजों की बिल ऑफ एंट्री या ऐसा कोई और डॉक्यूमेंट।
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी) की तरफ से जारी इनवॉयस या क्रेडिट नोट।

• क्रेडिट कितने दिनों में ले सकते हैं?

जिस वित्त वर्ष का क्लेम है, उसके अगले वर्ष सितम्बर के रिटर्न के साथ क्लेम कर सकते हैं। अगर सालाना रिटर्न इससे पहले जमा किया तो उसे आखिरी तारीख माना जाएगा। पहले रिवर्स हुए क्रेडिट के क्लेम की कोई समय सीमा नहीं होगी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 10.6.2017)**

इनवेस्टमेंट की कोई सीमा जीएसटी में तय नहीं

सवाल : मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका कुल इनवेस्टमेंट 21 लाख हो, तो क्या जीएसटी रजिस्टेशन कराना होगा।

जवाब : जीएसटी रजिस्ट्रेशन का किसी बिजनेस में इनवेस्टमेंट से कोई लेना-देना नहीं है। अगर आपका लेनदेन 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन तब आप वस्तु या सेवा के लिए कर भुगतान के इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकेंगे।

सवाल : जएसटी के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा?

जवाब : जीएसटी पंजीकरण या तो स्टेट जीएसटी अंफिस में होगा या सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में। यह कारोबार के टर्न ओवर और कारोबारी के कार्यक्षेत्र पर निर्धारित होगा। इस संबंध में घोषणा अभी नहीं हुई है।

सवाल : मेरी दुकान का हर दिन कर सेल 8000 रुपया है। क्या मुझे जीएसटी के तहत रजिस्ट्रोशन कराना होगा? मैं दूसरे स्टेट से भी माल मंगाता हूँ।

जवाब : दैनिक बिक्री या कारोबार की जीएसटी में कोई सीमा तय नहीं है। यह सालाना 20 लाख से अधिक की ब्रिक्री या सेवा के लिए है। अगर एक साल में आपका कारोबार 20 लाख से अधिक का है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपका कारोबार या लेनदेन कर योग्य नहीं है, तो आप कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। **(साभार : प्रभात खबर 30.5.2017)**

गाँव-देहात में सीएससी होंगे जीएसटी सुविधा प्रदाता

गाँव-देहात में कारोबोरियों और छोटे उद्यमियों की जीएसटी संबंधी दिक्कतों को सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) दूर करेंगे। ये सीएससी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न दाखिल कराने और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। सरकार ने सीएससी चलाने वाले ग्रामीण उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। पहली जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने की बढ़ रही संभावनाओं के मद्देनजर सरकार देश में स्थापित ढाई लाख सीएससी को जीएसटी सुविधा प्रदाता (प्रोवाइडर) के तौर पर तैयार कर रही है।

(साभार : दैनिक जागरण, 30.5.2017)

पेंट पर जीएसटी का बोझ मौजूदा टैक्स के समान

जीएसटी काउंसिल ने पेंट्स पर उच्चतम दर पर 28 परसेंट टैक्स लगाने का फैसला किया है। यह टैक्स पेंट पर लगने वाले टैक्स से बहुत अलग नहीं है। इस समय भी 28 परसेंट से थोड़ा ज्यादा टैक्स लगता है। उद्योग का कहना है कि जीएसटी लागू होने से उद्योग को न तो नुकसान है और न ही फायदा। इंडियन पेंट एसोसिएशन (आइपीए) के नव नियुक्त अध्यक्ष अभिजीत रॉय जो बर्जर पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, ने कहा कि सरकार ने पेंट पर पूर्ववत टैक्स रखने का फैसला किया है। हालांकि हमारी अपेक्षा थी कि सरकार पर इस पर कम टैक्स लगायेगी। उद्योग को 18 परसेंट के स्लैब में पेंट को रखे जाने की उम्मीद थी। जंग से बचाव के लिए प्लांट व उपकरणों पर पेंट का इस्तेमाल होता है।

उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि पावर कोटिंग पर 18 परसेंट टैक्स लगाया गया है। हालांकि पूरे पेंट उद्योग में इसका हिस्सा बहुत ही कम है। पेंट पर टैक्स तो 28 परसेंट लगेगा लेकिन इस पर सेस नहीं होगा। जीएसटी लागू होने से कारोबार पर असर पड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि शुरू में कुछ परेशानी आ सकती है लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हालांकि टैक्स के चलते मांग पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। **(साभार : आई-नेक्स्ट, 8.6.2017)**

सरकार के संकेत; ठोस वजह हुई तो बदलेंगे जीएसटी के रेट

लोन पर सर्विस टैक्स नहीं, इसलिए जीएसटी से लोन महंगे नहीं होंगे

जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स रेट भले तय कर दिए हों, आने वाले दिनों में इनमें संशोधन भी हो सकता है। लेकिन संशोधन की ठोस वजह होनी चाहिए। राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने इंडस्ट्री के साथ बातचीत में यह बात कही। गौरतलब है कि एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल समेत विभिन्न इंडस्ट्री समूह इसके लिए लॉबिंग में लगे हैं। अढिया ने कहा कि प्रोसेस्ड अनाज, खासकर चावल और गेहूँ पर 3 जून की काउंसिल की बैठक में फैसला होगा। काउंसिल 'ब्रांडिंग' की परिभाषा पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें छूट वाली कैटेगरी में रखा गया तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को नुकसान होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कह चुके हैं कि ब्रांडेड अनाज पर फैसला होना बाकी है। अढिया ने इस डर को बेबुनियाद बताया कि जीएसटी से लोन लेना महंगा हो जाएगा।

जीएसटी से राज्यों को इस वर्ष 45 हजार करोड़ रु. ज्यादा कमाई :

जुलाई में जीएसटी लागू होने पर राज्यों को 35-45 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। यह जीडीपी का 0.2 - 0.3% होगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इसने कहा है कि अगर राज्य अपना राजकोषीय घाटा बजट में तय लक्ष्य के भीतर रखते हैं, और केन्द्र सरकार भी इसे जीडीपी के 3.2% तक सीमित रखती है तो' 2017-18 में केन्द्र-राज्य का कुल घाटा 6% या इससे कम रहेगा। रिपोर्ट में माना गया है कि 18 राज्य अपना घाटा 2016-17 के बराबर, यानी 2.7% तक सीमित रखेंगे। इसके मुताबिक ज्यादातर राज्य अभी वेतन आयोग की सिफारिशों का आकलन कर रहे हैं। यह भी देख रहे कि किसान कर्ज माफ किए गए तो कितना बोझ आएगा। इन वजहों से घाटे में 0.1% की बढोतरी हो सकती है। कुछ राज्य साल के बीच में वेतन वृद्धि करते हैं तो घाटे में इजाफा हो सकता है।

बिहार समेत 6 राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा

• जीएसटी से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा?

बिहार, यूपी, प. बंगाल, राजस्थान, मप्र व पंजाब सबसे ज्यादा फायदे में। टैक्स रेवेन्यू में ज्यादा इजाफा होगा।

• राज्यों को कितना फायदा होगा, इसका कोई आकलन है?

स्टैनचार्ट का आकलन है कि यूपी को राज्य की जीडीपी के 1% के बराबर अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है।

• टैक्स रेट एक तो इन राज्यों को ज्यादा कमाई कैसे होगी?

मौजूदा टैक्स व्यवस्था प्रोडक्शन-बेस्ड है। यानी जहाँ चीजों का उत्पादन होता है, टैक्स का सबसे ज्यादा लाभ उस राज्य को होता है। जीएसटी खपत पर लागू होगा, यानी जहाँ वस्तु की बिक्री होगी।

• तो कुछ राज्यों को नुकसान भी होगा?

हाँ। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्यों को नुकसान होगा। हालांकि केन्द्र सरकार पाँच साल तक नुकसान की भरपाई करेगी।

• भरपाई के पैसे कहाँ से लाएगी?

इसी के लिए तंबाकू और लग्जरी चीजों पर सेस लगाया गया है। सेस के पैसे का अलग फंड होगा। अगर किसी राज्य को कम राजस्व मिलता है तो उसे इसी फंड से भरपाई होगी इस साल यह फंड करीब 55, 000 करोड़ का होगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 31.5.2017)

जीएसटी में पुराने स्टॉक का क्रेडिट 90 दिनों में क्लेम कर सकते हैं कारोबारी

नियमों में संशोधन **पहले दिया गया था 60 दिनों का वक्त**

काउंसिल की अनुमति से कमिश्नर इसे और 90 दिन बढ़ा सकता है :

सरकार ने जीएसटी में ट्रांजिशन के नियम जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक ट्रेडर और रिटेलर 90 दिनों में पुराने स्टॉक का टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी नियमों के ड्राफ्ट में इसके लिए 60 दिनों का वक्त दिया गया था। यहाँ

पुराने स्टॉक से मतलब उस सामान से है जिसे उन्होंने 1 जुलाई से पहले खरीदा और उसकी बिक्री 1 जुलाई या उसके बाद कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर नए निमयों के मुताबिक 'जो कारोबारी पुराने स्टॉक पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना चाहते हैं उन्हें 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि वह कितने इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार है। टैक्स कमिश्नर इस अवधि को और 90 दिनों के लिए बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए काउंसिल की मंजूरी लेनी पड़ेगी।' जिन वस्तुओं या सेवाओं पर अभी वैट या सर्विस टैक्स दिया गया है, उसका क्रेडिट लेने के लिए डीलर को सप्लाई की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। ट्रांजिशन के नए नियम जारी किए गए। इसके मुताबिक जिन वस्तुओं पर जीएसटी रेट 18% या इससे अधिक होगा, ट्रेडर और रिटेलर उस पर सीजीएसटी या एसजीएसटी का 60% क्लेम कर सकेंगे। जिन वस्तुओं पर जीएसटी रेट 18% से कम होगा, उन पर सिर्फ 40% क्रेडिट डीम्ड मिलेगा। ड्राफ्ट नियमों में सभी टैक्सेबल वस्तुओं पर 40% क्रेडिट का प्रावधान किया गया था।

पहले चुकाए आईजीएसटी का भी मिलेगा क्रेडिट, पर अधिकतम 30% कर सकते हैं क्लेम : अगर किसी वस्तु पर आईजीएसटी चुकाया गया है तो डीम्ड क्रेडिट कम मिलेगा। वस्तु पर टैक्स रेट 18% या ज्यादा है तो 30% क्रेडिट मिलेगा। वस्तु पर टैक्स 18% से कम है तो सिर्फ 20% क्रेडिट मिलेगा। ड्राफ्ट नियमों में आईजीएसटी का जिक्र नहीं था।

कीमत 25,000 रुपए से ज्यादा है तो मिलेगा एक्साइज ड्यूटी का 100 फीसदी रिफंड : जिन वस्तुओं की कीमत 25,000 रुपए से ज्यादा होगी और जिन पर मैन्युफैक्चरर के ब्रांड का नाम और सीरियल नंबर अंकित होगा, उस पर एक्साइज ड्यूटी का 100% रिफंड लिया जा सकता है। टीवी, फ्रिज, कार की चेसिस आदि ऐसी चीजों में आते हैं। एक और शर्त है कि मैन्युफैक्चरर 30 जुलाई तक ऐसी वस्तुओं का क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट (सीटीडी) डीलर को देगा। यह सबूत होगा कि उस वस्तु पर एक्साइज का भुगतान किया गया है। डीलर के पास सामान के सभी इनवॉयस होने चाहिए। **(सा.: दैनिक भास्कर, 8.6.2017)**

'NEW 28% TAX SLAB FOR IT HARDWARE UNDER GST NEEDS TO BE REVERSED'

The trade body has said that printers and monitors should be subjected to the current uniform rate of 18%

THE MANUFACTURES ASSOCIATION of Information technology (MAIT), the trade body representing the hardware industry in India, has said that the new tax slab of 28% for printers and monitors under the forthcoming GST regime needs to be reversed, and instead subjected to the current uniform rate of 18 %.

"The finance ministry immediately needs to clarify anomaly in tax slabs in printers, projectors and monitors. All of these items along with IT accessories such as date cables collectively should be taxed at 18% to make 'Digital India' Successful," said MAIT President Nitin Kunkolienker in a statement.

The industry body felt that under the new tax regime, it would only make hardware goods more expensive. **(Source : Fin. Exp. 7.6.2017)**

अग्रिम पर कर से उद्योग जगत परेशान

अग्रिम पर कर लगाए जाने से वस्तु एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में कारोबारी लेनदेन प्रभावित होगा और जीएसटी व्यवस्था के लिए अनुपालन संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा

जीएसटी व्यवस्था के तहत कारोबारियों के अग्रिम पर कर लगाए जाने से वस्तु एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में लेनदेन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत इसके लिए अनुपालन संबंधी जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इससे भारतीय उद्योग जगत की परेशानी बढ़ेगी और इसलिए वह अग्रिम पर कराधान को लेकर कहीं अधिक चिंतित दिख रहा है।

कर विशेषज्ञों का मानना है कि अग्रिम पर कर लगाए जाने की पहल से नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लेनदेन की लागत बढ़ सकती है और ऐसे में कंपनियों द्वारा कारोबार करने का तारीका बदल सकता है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि कुछ कारोबारी 'अग्रिम' का नाम बदलकर 'सुरक्षा जमा राशि' कर देने मात्र से ही कराधान से बच सकते हैं।

नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था : • कर विशेषज्ञों का मानना है कि अग्रिम पर कर लगाए जाने की पहल से नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लेनदेन की लागत बढ़ सकती है। • आपूर्ति के लिए अग्रिम रकम के लिए कराधान एवं अनुपालन संबंधी जरूरतों से अग्रिम देने वाले कारोबारी हो सकते हैं हतोत्साहित।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 5.6.2017)

इस साल बिना आधार भरिये रिटर्न

पैन व आयकर रिटर्न के लिए आधार अनिवार्य करने वाले कानून पर आंशिक रोक

जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है वह इस साल अपना रिटर्न पैन नंबर से ही भर सकते हैं। आयकर रिटर्न में पैन नंबर के साथ-साथ आधार नंबर अनिवार्य करने की सरकार की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उन्हें रिटर्न में इसका नंबर देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के आयकर अधिनियम में संशोधन के प्रावधान को वैध ठहराया। साथ ही यह भी कहा कि इससे संबंधित निजता के अधिकार के मुद्दे पर संविधान पीठ का निर्णय होने तक इसके अमल पर आंशिक रोक रहेगी। जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने आयकर कानून में धारा 139एए शामिल करने के संसद के अधिकार को भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि उसने निजता के अधिकार और उससे जुड़े इस पहलू पर गौर नहीं किया है कि आधार योजना मानवीय गरिमा को प्रभावित करती है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर संविधान पीठ ही निर्णय करेगी। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 10.6.2017)**

दो लाख से अधिक के नकद लेन-देन पर जुर्माना

आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपये से अधिक का नकद लेन-देन करने के प्रति आगाह किया। विभाग के कहा कि इस तरह के लेन-देन में जिस व्यक्ति को नकद राशि प्राप्त होगी, उसे उतना ही जुर्माना देना होगा।

इसके अलावा विभाग ने लोंगों से कहा है कि उन्हें यदि इस तरह के लेन-देन की जानकारी मिलती है तो वे इसका ब्योरा blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर भेज सकते हैं। सरकार ने वित्त अधिनियम, 2017 के तहत 1 अप्रैल, 2017 से दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर रोक लगा दी है। आयकर कानून में नई शामिल 269 एसटी धारा एक दिन में इतने नकद लेन-देन पर रोक लगाती है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा एक मामले में दो लाख रुपये से अधिक के लेन-देन पर प्रतिबंध लगाती है। कर विभाग ने प्रमुख अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों में कहा है कि धारा 269 एसटी का उल्लंघन करने पर नकद राशि प्राप्त करने वाले पर इतनी ही राशि के बराबर जुर्माना लगेगा। वित्त विधेयक में संशोधन के तहत इस सीमा को कम कर दो लाख कर दिया गया। वित्त विधेयक लोकसभा में मार्च में पारित हुआ।

(साभार : हिन्दुस्तान, 3.6.2017)

दवा कारोबारियों ने समझा GST का पेंच

15 तक अंतिम अवसर के रूप में जीएसटी पोर्टल पर सुविधा

वाणिज्य-कर के अधिकारियों ने दवा के कारोबारियों को बताया कि 15 जून तक अंतिम अवसर के रूप में जीएसटी पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आने वाले किसी भी समस्या के समाधान के लिए विभाग की ओर से अंटा घाट स्थित कौटिल्या भवन में कंट्रोल रूप सह फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। जिन व्यवसायियों द्वारा इंरॉलमेंट करा लिया गया है, मगर डिजिटल सिग्नेचर या ई-सिग्नेचर के माध्यम से एआरएन जनित नहीं किया गया है, उनके लिए भी इस अवधि में इस कार्य को संपन्न किए जाने का अंतिम अवसर होगा।

देर तक चले सवाल-जवाब : ये बातें वाणिज्य-कर विभाग के अवर सचिव अरुण कुमार मिश्रा, पटना उत्तरी अंचल के उपायुक्त उदयन मिश्रा एवं सहायक आयुक्त प्रियदर्शी रंजन ने कही। वे बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट

एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। एसोसिएशन की ओर से संयोजक उत्पल कुमार सेन, अध्यक्ष परसन कुमार सिंह, अमरेन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार चौरसिया, बलिराम शर्मा, संतोष कुमार, सज्जन कुमार आदि के सवाल-जवाब का दौर भी आफिसरों के साथ चला।

और क्या मिली जानकारी : जीएसटी प्रणाली के लागू होने के तुरत बाद आने वाले विभिन्न बिंदुओं यथा ट्रांजिशनल प्रोविजन इनवॉयसिंग, ई-वे बिल, रिटर्न, पेमेंट, माइग्रेशन एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में जानकारी दी गई। मौके पर कॉमर्शियल टैक्स के सहायक आयुक्त संजय कुमार, वाणिज्यकर पदाधिकारी अंजु कुमारी, विजय कुमार पाठक, पटना पूर्वी प्रमंडल के संयुक्त आयुक्त प्रशासन संतोष कुमार आदि ने भी कारोबारियों को जीएसटी के बारे में बताया। अंत में सबों को एक सीडी भी प्रदान की गई। **(सा.: दैनिक जागरण, 9.6.2017)**

ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए पैकेजिंग नियम बदलेंगे

ग्राहक की शिकायत को नजरंदाज करना कंपनियों को भारी पड़ेगा

तैयारी : ई-कॉमर्स ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए केन्द्र सरकार जल्द नियमों में बदलाव करेगी। इसमें सामान पर छूट का विस्तार, शिकायत निपटारा तंत्र बनाना और उत्पाद से जुड़ी तमाम जानकारियाँ बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी होगा। सभी ई-कॉमर्स कंपनियों का इन नियमों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर कानूनी माप-पद्धति नियंत्रण अधिकारी को समुचित कार्रवाई का अधिकार मिलेगा।

सख्ती : • सरकार कानूनी माप पद्धति (माल पैकिंग नियम)- 2011 में करेंगी बदलाव • नियमों का मसौदा कानून मंत्रालय के पास परखने के लिए भेजा गया है • अगले सप्ताह तक इन संशोधनों को लागू किए जाने की संभावना है • ई-कॉमर्स कंपनियों को बेवजह परेशान नहीं किए जाने का भी भरोसा।

होगी कड़ी कार्रवाई : इन नियमों के लागू होने के बाद कानूनी माप-पद्धति नियंत्रता अधिकारी ई-कॉमर्स और उनके माध्यम से सामान बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ समुचित कार्रवाई कर सकेंगे। अगर कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है या ऐसी कोई शिकायत उसके खिलाफ साबित होती है।

चार पहलुओं पर नियम : • वस्तु का अधिकतम खुदरा कीमत, कुल मात्रा और सभी शिकायतों के निपटारे के लिए तंत्र स्थापित करना • बेची जाने वाली वस्तु देसी है या विदेशी है और उसके निर्माता का नाम और पता लिखा जाना • छोटी वस्तुओं को दोगुने आकार के डिब्बे में पैक करना और जुड़ी जानकारी को डेढ़ गुना बड़ा लिखना • उन सामग्रियों पर लागू होगा जिनके प्रयोग की सामान्य अवधि तय है, लेकिन खराब होने की तिथि नहीं होती।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.6.2017)

सप्लाई : दूसरे राज्य में स्टॉक ट्रांसफर पर भी लगेगा आईजीएसटी, भले ही पेमेंट न हुआ हो

- **सप्लाई का मतलब क्या है?**

बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए बिक्री, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज दी गई हो, उसके बदले पैसे लिए गए हों। सेवाओं के आयात को भी सप्लाई माना जाएगा। वस्तु का मालिकाना हक (टाइटल) और पजेशन भी ट्रांसफर होना चाहिए। मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होने पर उसे सर्विस की सप्लाई माना जाएगा।

- **किसी वस्तु के इस्तेमाल के अधिकार का ट्रांसफर वस्तु की सप्लाई माना जाएगा या सर्विसेज की ?**

इसे सर्विस माना जाएगा, क्योंकि इसमें वस्तु का मालिकाना हक का ट्रांसफर नहीं हुआ है।

- **अपनी ही कंपनी की दूसरी यूनिट को वस्तु या सेवा की सप्लाई की, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा?**

एक राज्य से दूसरे राज्य में स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर पर आईजीएसटी लगेगा। भले ही उसके लिए कोई पेमेंट न किया गया हो। एक ही राज्य में होने वाली सप्लाई टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन दोनों का रजिस्ट्रेशन एक होना चाहिए।

- **एयरकंडीशनर के डीलर ने अपने स्टॉक से एक एसी अपने घर में लगवा लिया। क्या उसे सप्लाई माना जाएगा?**

हाँ। डीलर ने उस एसी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, इसलिए वह सप्लाई के दायरे में आएगा। भले ही उसके लिए पैसे का भुगतान न हुआ हो।

- **वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कैटरिंग को गुड्स माना जाएगा या सर्विस?**

ये दोनों सर्विस के दायरे में आएंगे। हायर-परचेज को वस्तु की सप्लाई माना जाएगा क्योंकि इसमें मालिकाना हक ट्रांसफर होता है, भले ही भविष्य की किसी तारीख को।

- **सॉफ्टवेयर की सप्लाई को गुड्स माना जाएगा या सर्विस?**

आईटी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन सबको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 14.6.2017)

जीएसटी ने मिटाया सिगरेट और बीड़ी के बीच भेदभाव

सिगरेट और बीड़ी के बीच वर्षों से चले आ रहे टैक्स के भेदभाव का अंतत: खात्मा हो गया। जीएसटी में अब बीड़ी को भी सिगरेट की तरह टैक्स के उच्चतर स्लैब में शमिल कर लिया। अब बीड़ी पर भी 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

बिहार में अबतक बीड़ी पर सिर्फ 13.5 प्रतिशत टैक्स लग रहा था। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में काम कर रही संस्था सोशियो इकोनोमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में तंबाकू के सेवन करने वालों की संख्या 54 प्रतिशत है जिसमें से 8 प्रतिशत बीड़ी का सेवन करते हैं। प्रदेश में सिगरेट पीने वालों की संख्या इससे कम करीब 5 प्रतिशत है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में केन्द्र सरकार की और से बीड़ी को भी 28 प्रतिशत के स्लैब में रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि केन्द्र सरकार के फैसले से बीड़ी कारोबार प्रभावित होगा और मालिकों को अधिक टैक्स देना होगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 5.6.2017)**

मुद्रा ने बदली छोटे कामगारों की जिंदगी

अच्छा प्रदर्शन : मुद्रा ऋण के मामलें में बिहार टॉप टेन राज्यों में शामिल, रोजगार के लिए लोगों को मिल रहा कर्ज

पिछले तीन सालों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से दिए गए छोटे-छोटे ऋणों ने प्रदेश के गरीब कामगारों की जिंदगी बदलने की कोशिश की है। ये ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए हैं। बैंकों, विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इन योजना के प्रति जबर्दस्त उत्साह दिखाया जिसका नतीजा है कि 'मुद्रा ऋण' के मामले बिहार टाप टेन राज्यों में शामिल है।

ब्रेक-अप (हजार करोड़)

50 हजार तक	कुल ऋण	राशि
2015-16	23.10	4.11
2016-17	36.22	8.20
2017-18*	201.73	0.38
पाँच लाख तक	**कुल ऋण**	**राशि**
2015-16	129.0	0.38
2016-17	116.5	1.94
2017-18*	7.91	0.16
दस लाख तक	**कुल ऋण**	**राशि**
2015-16	12.3	0.92
2016-17	17.5	1.41
2017-18*	2.16	0.16

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.6.2017)

जीएसटी के लिए अभी तैयार नहीं हैं बैंक

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत नई कर व्यवस्था के लागू होने में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। लेकिन देश के बैंक अभी इसे लेकर असमंजस की स्थिति में दिख रहे हैं। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने एक संसदीय समिति को सूचित किया है कि बैंक अभी नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है।

आईबीए ने वित्त पर संसद की स्थायी समिति से कहा, 'चूंकि जीएसटी को एक जुलाई, 2017 से लागू किया जाना है ऐसे में बैंकों को अपनी प्रणालियों तथा

प्रक्रियाओं में काफी बदलाव करना होगा। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू करने की बैंकों की तैयारियों पर सवालिया निशान है।'

आईबीए ने कहा कि बैंकों की ग्राहकों के लिए काफी सेवाएं केन्द्रीकृत हैं, जबकि कुछ अन्य स्थानीयकृत हैं। बैंकों को अपने मौजूदा ढांचे में व्यापक बदलाव करने होंगे, जो बैंकों के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। संघ ने कहा कि उसने केन्द्रीय पंजीकरण का मामला उठाया है। जीएसटी को आजादी के बाद का सबसे बड़ा कराधान सुधार माना जा रहा है। केन्द्रीय उत्पाद, सेवा कर, वैट और अन्य स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे।

माना जा रहा है कि इस नए अप्रत्यक्ष बिक्री कर से जीडीपी की वृद्धि दर में 2 फीसदी का इजाफा होगा और इससे कर अपवंचना पर अंकुश लगेगा।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 5.6.2017)

जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों में नरमी

सरकार ने मॉडल जीएसटी कानून की तुलना में केन्द्रीय जीएसटी ऐक्ट में गिरफ्तारी के प्रावधान को नरम बनाया है

	मौजूदा व्यवस्था		जीएसटी व्यवस्था		
	उत्पाद शुल्क	सेवा कर			
गिरफ्तारी प्रावधान से संबद्ध रकम	1 करोड रुपये	2 करोड रुपये	1-2.5 करोड़ रु०	2.5-4.99 करोड़ रु०	5 और उससे अधिक
जमानती/ गैर-जमानती	जमानती*	जमानती**	जमानती	जमानती	गैर-जमानती
कारावास अवधि	7 वर्ष तक	7 वर्ष तक	1 वर्ष तक	3 वर्ष तक	5 वर्ष तक
	सात विशेष अपराधों में लागू	जब करदाता ने कर प्राप्त किया हो लेकिन जमा न किया हो	चार विशेष अपराधों में लागू***		
महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रावधान	सेंट्रल एक्साइज ऐक्ट, 1944 की धारा 9	फाइनैंस ऐक्ट, 1994 की धारा 89	केन्द्रीय जीएसटी की धारा 69 और धारा 132		

*यदि कर राशि 0.5 करोड़ रुपये तक की हो, **यदि कर प्राप्त नहीं किया गया हो और यह दो करोड़ रु तक हो

*** **चार विशेष अपराध**

कर चोरी के इरादे से झूठा बिल दिया हो	माल/सेवा की आपूर्ति के बगैर ही इनवॉइस या बिल जारी किया गया हो	उन बिल पर इनपुट क्रेडिट प्राप्त किया हो जिन पर माल या सेवा की आपूर्ति नहीं हुई हो	जीएसटी वसूला हो, पर 3 महीने के अंदर सरकार को नहीं चुकाया हो

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 5.6.2017)

छोटे उद्योगों की मदद के लिए 100 करोड़

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अनुपालन में सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्योगों (एमएसएमई) की मदद के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये अलग रखे हैं।

एमएसएमई मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नकदी का स्थानांतरण कंपनियों को नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका इस्तेमाल हेल्प डेस्क, जागरूकता कैंप और इस तरह का बुनियादी ढांचा बनाने में किया जाएगा जिससे एमएसएमई, जीएसटी के अनुपालन संबंधी अपनी तकनीकी समस्याओं के समाधान में इसका इस्तेमाल कर सकें। इस योजना का विस्तृत ब्योरा अभी तैयार किया जाना है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता का प्रसार व फर्मों में कराधान मानकों व अंकेक्षण को अद्यतन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

जीएसटी का असर : • सरकार के अनुमान के मुताबिक 2016 में एमएसएमई की 3.6 करोड़ इकाइयां थीं, जिनमें 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है • सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 8 प्रतिशत है, विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 45 प्रतिशत और देश से होने वाले निर्यात में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है • इस क्षेत्र की ज्यादातर इकाइयाँ कपड़ा, चमड़ा व फुटवियर और हल्के इंजीनियरिंग सामान क्षेत्र की।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 1.6.2017)

जौहरियों को कम जीएसटी कर से राहत

आभूषण क्षेत्र ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सोना एवं स्वर्णा भूषणों पर 3 फीसदी कराधान का स्वागत किया है। हालांकि मौजूदा 10 फीसदी आयात शुल्क के साथ ग्राहकों को स्वर्णाभूषणों पर 13 फीसदी के प्रभावी शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा जो मौजूदा 12.5 फीसदी (10 फीसदी आयात शुल्क, 1 फीसदी मूल्यवर्द्धित कर, 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और 0.5 फीसदी उपकर) कर के मुकाबले थोड़ा अधिक है।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जौहरियों द्वारा कामगारों को किए गए भुगतान को समायोजित करने की मंजूरी दे दी है। इंडियन बुलियन ऐंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के राष्ट्रीय सचिव सुरेन्द्र मेहता ने कहा, 'यह काफी अच्छी स्थिति है। हमने समान कर ढांचे के लिए सरकार से आग्रह किया था।'।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 5.6.2017)

कैसे करें नियमों का अनुपालन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) दशकों से देश की प्रगति का हिस्सा रहा है। यह क्षेत्र 45 फीसद औद्योगिक उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। निर्यात में इसका 40 फीसद हिस्सा है। यह चार करोड़ भारतीयों को रोजगार देता है। भारतीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए 8,000 से ज्यादा गुणवत्तायुत्त उत्पादों का उत्पादन करते हुए हर साल यह क्षेत्र औसतन दस लाख नौकरियों का निर्माण करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जीएसटी को क्रियान्वित करना इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में लगभग 50 फीसद ही जीएसटी के नियमों का अनुपालन करने के लिए तकनीकी तौर पर सक्षम हैं। इस क्षेत्र के लिए जन बल भी एक बड़ी चिंता का विषय है। कई व्यापारों के साथ विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं से फॉलोअप लेने और समय से भुगतान या इनवॉइसिंग को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर्मचारी नहीं हैं। ये कुछ ऐसी मुसीबतें हैं जिनका सामना इस नई टैक्स व्यवस्था के लागू होने पर इस क्षेत्र को करना पड़ेगा।

आइटीसी की गणना ऐसे करें, जैसे जिंदगी इस पर निर्भर है : इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) से संबंधित कानूनों को समझना एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण है। आइटीसी की उपलब्धता जीएसटी काल में व्यापार की प्रतिद्वंद्विता और अनुपालन की लागत को निर्धारित कर सकती है। यह कानून मार्केटिंग के खर्च, परिवहन खर्च इत्यादि जैसे 'व्यापार बढ़ाने' के लिए व्यय पर आइटीसी दावा किए जाने की अनुमति देता है। उद्योग इस कानून से संबंधित विभिन्न प्रकार के खर्चों पर आइटीसी का दावा कर सकते हैं। **(साभार : दैनिक जागरण, 4.6.2017)**

औद्योगिक क्षेत्रों की मजबूत होगी आधारभूत संरचना

राज्य के सभी 50 औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत संरचना मजबूत बनाने के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसकी जानकारी बियाडा के कार्यकारी निदेशक आर० एस० श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने कहा कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की ओर से हाल ही में पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था।

इसमें कई तरह की बातें सामने आई हैं। अब तक के सर्वे के आधार पर 15 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया है। मकसद यह कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत संरचना मजबूत हो सके और जरूरी सुविधाएं मिल सकें। 15 सूत्री

कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर होने वाले खर्च के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। कहा कि बियाडा एक्ट 1974 और बियाड़ा रेगुलेशन 2007 में आवश्यक संशोधन भी किया जा रहा है। वर्ष 2003 में पीआइएडीए, एनबीआइएडीए और डीआइएडीए को मिलाकर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) का गठन तो किया गया, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए नियम नहीं बनाए गए। सिर्फ पीआइएडीए रूल्स 1981 है, इसलिए बियाडा के लिए नए नियम तैयार किए जा रहे हैं। इसे 22 जून को होने वाली निदेशक पर्षद की बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा। अलावा उद्यमियों की सुविधा के लिए एक्जिट पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी, एलॉटमेंट पॉलिसी, वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी लाई जाएगी। इसके लिए विभिन्न उद्यमी संद्यों से राय ली गई है। सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीयल एरिया मैनेजमेंट कमेटी का गठन होगा। औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत संरचना का निर्माण एवं मरम्मत का काम संवेदक करेंगे। इसके बाद उसका मूल्यांकन बियाडा के अतिरिक्त इंडस्ट्रीयल एरिया मैनेजमेंट कमेटी के अधिकारियों द्वारा भी सत्यापित करना अनिवार्य होगा। इससे कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा एवं पारदर्शिता आएगी।

इन संरचनाओं पर होगा काम : गेट, गार्ड रूम, सुरक्षा, सड़क, स्ट्रीट लाइट, बाउंड्री, नाला निर्माण कार्य, हरित पट्टी कार्यालय भवन, क्षेत्रीय प्रभारी की मूलभूत सुविधाएं, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कॉमन इफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रीयल एरिया मैनेजमेंट सोसायटी और अतिक्रमण।

(साभार : दैनिक जागरण, 2.6.2017)

उद्यमियों को मिलेंगी कई सहूलियतें

कारोबारी सहूलियतें बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने कई सुधारों को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार निवेशकों को लुभाने और मंजूरियों को आसान बनाने के लिए नए कदमों को उठाएगी। इसके तहत बिहार में अगले 2-3 महीनों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी महज 30 दिनों के भीतर मिल सकेगी। सुधारों की इस कड़ी में राज्य सरकार ने इस साल के अंत तक एक अत्याधुनिक एकल खिड़की व्यवस्था को लागू करने का भी फैसला लिया है। राज्य सरकार के मुताबिक इससे राज्य में लालफीताशाही को कम करने में मदद मिलेगी। पटना में निवेशकों और उद्यमियों के साथ एक कार्यशाला में राज्य के विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा ने कहा, 'राज्य में कारोबारी सहूलतें बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। इस दिशा में हम काफी काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हम वणिज्य मंत्रालय के कारोबारी सहूलियतों से जुड़ी रैंकिंग में पहले नंबर पर भी रहे हैं। हम अपनी उस जगह को फिर से हासिल करना चाहते हैं। इसलिए हम व्यवस्था में बदलाव कर लालफीताशाही को कम से कम करना चाहते हैं। हमने अग्निशमन विभाग, फैक्टरी इंस्पेक्टर समेत कई विभागों से मंजूरियों के लिए 30 दिनों की एक निश्चित समय-सीमा भी तय कर दी है। हम इस समय- सीमा को दूसरे विभागों पर भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।'

दूसरी तरफ, उद्योग विभाग ने एक अत्याधुनिक एकल खिड़की व्यवस्था को लागू करने का भी फैसला लिया है। विभाग के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ के मुताबिक अगले छह महीनों में यह व्यवस्था काम करने लगेगी। उन्होंने कहा, 'हम बीते साल सितम्बर में नई औद्योगिक नीति को लेकर आए थे। अब तक इस नीति के तहत राज्य में 400 से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं, जिसमें से 254 को स्वीकार भी किया जा चुका है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.6.2017)

नए वार्ड पार्षदों के फोन नंबर

पटना नगर निगम के नए पार्षद चुन लिए गए हैं। यदि आपके इलाके में निगम से जुड़ी कोई समस्या है तो उसके निदान के लिए संबंधित वार्ड पार्षद को सूचित कर सकते हैं।

वार्ड	पार्षद	मोबाइल नंबर	वार्ड	पार्षद	मोबाइल नंबर
1.	छटिया देवी	8877806915	36.	दीपक कुमार	8521154693
2.	मधु चौरसिया	9334004058	37.	संजीव आनंद	9934363100
3.	प्रभा देवी	9304992501	38.	आशीष कु. सिन्हा	9334599766
4.	पानपति देवी	9470468846	39.	भारती देवी	9934184928
5.	दीप रानी खान	9304246214	40.	अशरफ अहमद	9473038786
6.	धनराज देवी	9334115055	41.	कंचन देवी	9939652018
7.	जयप्रकाश सहनी	9472311599	42.	कौशल प्र. यादव	9334149795
8.	रीता रानी	9431456910	43.	प्रमिला वर्मा	7488076377
9.	अभिषेक कुमार	9386661781	44.	माला सिन्हा	9471616205
10.	गीता देवी	9308022233	45.	प्रभा देवी	9162839071
11.	रवि प्रकाश	7856930591	46.	पूनम शर्मा	9308039294
12.	सविता सिन्हा	9709375223	47.	सतीश कुमार	9304190503
13.	जीत कुमार	7488016790	48.	इंद्रदीप कुमार	9334188015
14.	श्वेता राय	9472087131	49.	सीमा वर्मा	8252858111
15.	उर्मिला सिंह	7352104440	50.	आरजू	7970939370
16.	जयप्रकाश सिंह	9334481054	51.	विनोद कुमार	7070976900
17.	मीरा कुमारी	9308008690	52.	मजहबी	9835455293
18.	रंजन कुमार	9334226768	53.	किरण मेहता	7762061111
19.	शारदा देवी	9973889816	54.	अरुण शर्मा	9835053185
20.	सीमा सिंह	9304399336	55.	कंचन कुमार	9470888001
21.	पिंकी कुमारी	9771782700	56.	किसमति देवी	9334201475
22.	अनिता देवी	8102851990	57.	स्मिता रानी	9334779009
22.(ए)	दिनेश कुमार	9608605725	58.	सीता साहु	8789743708
22.(बी)	सुचित्रा सिंह	7488135195	59.	नीलम कुमारी	9304235358
22.(सी)	रचनी देवी	9709673928	60.	शोभा देवी	9431015710
23.	प्रभा देवी	9234716675	61.	उषा देवी	9334386212
24.	ज्ञानवती देवी	9304321933	62.	तारा देवी	9504403843
25.	रजनी कांत	8102033337	63.	आनंद मोहन	9430763953
26.	विंदा देवी	7857915994	64.	अबदा कुरैशी	7677698297
27.	रानी कुमारी	9386838868	65.	तरुणा राय	9334483040
28.	विनय कुमार	9431018692	66.	कांति देवी	8507588814
29.	रंजीत कुमार	9931024981	67.	मनोज कुमार	9162524799
30.	कावेरी सिंह	8789843507	68.	सुनीता देवी	9334186674
31.	रानी सिन्हा	9934024252	69.	विकास कुमार	9334317475
32.	पिंकी यादव	9304789320	70.	विनोद कुमार	9709077111
33.	शीला देवी	9525646291	71.	रेणु देवी	9431063195
34.	कुमार संजीत	9431034551	72.	मीरा देवी	7091145504
35.	राज कुमार गुप्ता	9434287447			

(साभार : दैनिक जागरण, 12.6.2017)

फूटवियर और बिस्किट में मिली राहत, 500 रुपये से कम मूल्य के जूते-चप्पल पर 5 फीसद जीएसटी

एक जुलाई 2017 से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद सोने पर 3 प्रतिशत, 500 रुपये से कम मूल्य के जूते-चप्पल यानी फुटवियर पर 5 प्रतिशत, बिस्किट पर 18 प्रतिशत और बीड़ी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। लेकिन सिगरेट की तरह बीड़ी पर सेस नहीं लगेगा। जीएसटी की इन दरों से बिस्किट और जूता चप्पल सस्ते हो सकते हैं क्योंकि फिलहाल इन पर टैक्स की प्रभावी दर जीएसटी की प्रस्तावित दर से अधिक है। खास बात यह है कि कार्उंसिल ने सोलर पैनल पर पूर्व में प्रस्तावित 18 प्रतिशत जीएसटी की दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। वहीं पूजा सामग्री के संबंध में जीएसटी की दर शून्य रखने का फैसला किया गया है। **(सा.: दैनिक जागरण, 4.6.2017)**

टैक्स का भार कितना (फीसद में)

आइटम	मौजूदा टैक्स	जीएसटी
सोना-चाँदी	1 से 6	3
बीड़ी	25.68	28
फुटवियर		
500 रु से कम	9.5	5
500 से 1000रु	23.1	18
1000रु से अधिक	23.1	18
लैदर 1000 रूपये अधिक	29.58	18
बिस्किट		
100 रुपये से कम	20.6	18
अन्य	23.11	18
बिजली चालित कृषि उपकरण		
कृषि उपकरण	13.79	12
क्लीनिंग, सॉर्टिंग मशीन	8.79	5

चमड़ा क्षेत्र को 4 हजार करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज!

सरकार विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को गति देने के लिए जुलाई में चमड़ा और फूटवेयर क्षेत्र के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है। इसमे कर और गैर-कर लाभ शामिल है। यह पिछले साल कपड़ा क्षेत्र के लिए घोषित कदमों के अनुरूप है। वित्त मंत्रालय इस क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर कर चुका है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 30.5.2017)**

बिजली की होगी एक दर

एक्सचेंजों में एक दर, उपभोक्ताओं के लिए भी होगी समान दर

कैसा हो अगर श्रीनगर में बिजली की जो दर हो वही कन्याकुमारी में भी और यही दर अहमदाबाद से लेकर शिलांग तक में हो? देश ने इस दिशा में एक दमदार कदम बढ़ा दिया है। देश के सभी पावर एक्सचेंजों में बिजली की कीमत एक समान तौर पर औसतन 2.61 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली वितरण कंपनियों को बेची गई। पूरे दिन में बिजली की दर 2.40 से 3.25 रुपये के बीच एक समान स्तर पर बनी रही है। सरकार का कहना है कि यह इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में आम ग्राहकों के लिए भी बिजली की एक दर लागू हो सकेगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 9.6.2017)**

नए आईटी पार्क बनाने में जुटी बिहार सरकार

बिहार में सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के विकास की कवायद तेज हो गई है। केन्द्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तरों पर नए आईटी पार्क स्थापित कर रही हैं। इससे राज्य सरकार को अगले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 3.6.2017)**

निर्यातकों को एक जुलाई से जीएसटी जरूरी

पहली जुलाई से निर्यातकों और आयातकों को विदेशी व्यापार करने के लिए जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर (GSTIN) देना अनिवार्य होगा। 15 अंकों वाला जीएसटिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) की ओर से जारी किया जाता है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी है।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.6.2017)

पटना बनेगा आइटी का हब

बिहार के तीसरे बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स (बीपीओ) सेंटर का उद्घाटन केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्राद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना सिटी के कचौड़ी गली स्थित शक्ति इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड में किया। भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना के डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क्स ऑफ इंडिया की और से सौ सीट वाला बीपीओ सेंटर श्याम इंफोटेक परिसर में काम करने लगा। भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना के तहत छोटे शहरों में 48.300 सीटों वाले बीपीओ की स्थापना होगी। इन शहरों में 1.6 लाख नौकरियों के अवसर मिलेंगे। आइटी में छह लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। देश के 80 लाख व्यापारी ऑन लाइन ट्रेनिंग लेंगे। बिहार सरकार की सेवाएं भी डिजिटल माध्यम से होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मेरा शहर पटना है। इस कारण पटना को आइटी के क्षेत्र में बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और गुड़गांव बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। मंत्री ने ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोड़ने की बात कही।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 14.6.2017)

BANKING STOCKS FALL ON RBI MANDATE FOR HIGHER PROVISIONING

Fall in share price on the BSE (in %)

Syndicate Bank	– 5	Oriental Bank of Commerce	– 3.1
PNB	– 4.7	DCB Bank	– 3.1
Canara Bank	– 4.5	Union Bank of India	– 2.8
Indian Bank	– 4.5	Corp Bank	– 2.8
Andhra Bank	– 4.03	Axis Bank	– 2.3
Allahabad Bank	– 3.9	ICIC Bank	– 1.2
Bank of Baroda	– 3.6	Kotak Mahindra Bank	– 1.1
State Bank of India	– 3.3	HDFC Bank	**0.6**

**Compared to Friday 's Close* *Source : BSE*

Banking stock fell on investor concern over a news report, which said that the Reserve Bank of India (RBI) has directed banks to keep higher provision against all cases referred for bankruptcy proceedings. Analysts believe higher provisioning is likely to further impact the profitability of banks, which are already struggling under mounting non-performing assets. According to the report, in a communication sent late on Friday evening, the central bank told banks to set aside 50 % of the loan amount as likely losses for all cases referred to the National company Law Tribunal (NCLT). Banks have already provisioned 40% for these NPAs worth Rs 2 Lakh crore or equal to a quarter of the NPAs in the banking system, before the RBI's move, rating agency Crisil said.

(Source : H.T. New Delhi, 28.6.2017)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत्
नये निवेश प्रस्तावों का सिंगल विंडो क्लीयरेंस में आमंत्रण
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए Visit करें:
www.udyog.bihar.gov.in
यह प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाइन है

प्राथमिकता प्रक्षेत्र : • खाद्य प्रसंस्करण • पर्यटन • लघु यंत्र विनिर्माण • सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर विनिर्माण • टेक्सटाईल • प्लास्टिक एवं रबर • अक्षय उर्जा • हेल्थकेयर • चमड़ा • तकनीकी शिक्षा

प्रोत्साहन : • औद्योगिक भूमि/शेड की लीज बिक्री/ हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी/ पंजीकरण शुल्क की शत्-प्रतिशत प्रतिपूर्त्ति • कृषि भूमि को औद्योगिक श्रेणी की भूमि में सम्परिवर्त्तन के लिए लगाये गये भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क की शत्-प्रतिशत प्रतिपूर्त्ति • ब्याज अनुदान स्वीकृत परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 10 करोड़ तक प्रतिपूर्त्ति। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 12 प्रतिशत तथा अन्य उद्योगों को 10 प्रतिशत • प्राथमिक क्षेत्र के लिए कर संबंधी लाभ स्वीकृत परियोजना लागत का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्त्ति। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा सौर एवं अक्षय उर्जा की इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अतिरिक्त कर का लाभ • अनुसूचित जाति / जनजाति/ महिला/ दिव्यांग/ वार-विडो/एसिड अटैक/तीसरा लिंग उद्यमियों के लिए विशेष सुविधा।

संपर्क करें:
उद्योग मित्र
भूतल, इंदिरा भवन, आर. सी. सिंह पथ, पटना - 800001, बिहार
(प्रत्येक कार्य दिवस को 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक)
E-mail: info@udyogmitrabihar.com/ Ph. No.: 91(612)-2547695

(साभार : दैनिक जागरण, 3.6.2017)

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary